सक्षम होते हम

PRAYATN

सक्षम होते हम

बाल अधिकार संरक्षण पर सामुदायिक प्रयासों का संग्रह

संयुक्त प्रयास

PRAYATN

Back to Life

संस्करणः 2011

प्रकाशनः
प्रयत्न, 68/337, प्रताप नगर,
सांगानेर–302033, जयपुर, राजस्थान, भारत
फोनः– 0141–2792919
ई–मेलः malay@prayatn.org, prayatnraj@yahoo.com
वेब पताः http://www.prayatn.org

संकलनः
मानव सिंघा, अमरेन्द्र सत्या, सौम्यश्री प्रुस्टी, ध्रमेन्द्र, राम प्रसाद जांगिड़

सम्पादनः
योगेश जैन, अशरफ आलम, पदमा भट्ट

मार्गदर्शनः–
मनीष सिंह गौड़, मलय कुमार

प्रकाशकः–
श्री श्याम प्रिंटर्स, जयपुर, राजस्थान

आर्थिक सहयोगः–

Back To Life, Germany

नोटः– इस पुस्तिका में प्रस्तुत विवरण अलग अलग गाँवों से है और उनमें इस्तेमाल किये नाम काल्पनिक है जिनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नही है। इस पुस्तिका में वर्णित कहानियाँ सिर्फ मुद्दे पर कार्य करने हेतु लोगों को अलग–अलग तरीके बताने का एक प्रयास मात्र है।

आभार

भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनतांत्रिक देश है और उत्तर प्रदेश इसका सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। भारत की सबसे लंबी और राष्ट्रीय नदी कहलाने वाली गंगा और यमुना सहित इसकी विभिन्न सहायक नदियाँ इस राज्य की प्यास बुझाती हैं। इन बारहमासी नदियों की उपस्थिति, समतल भूमि तथा उपजाऊ मिट्टी इस राज्य को कृषि के लिए एक अत्यंत उपयुक्त क्षेत्र बनाती है। पर उच्च जनसंख्या घनत्व (828 प्रति वर्ग किलोमीटर, जनगणना 2011 के अनुसार) व विकास की धीमी गति की वजह से यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव रहता है। ऐसे में यह राज्य देश की सबसे ज़्यादा गरीब जनसंख्या का निवास स्थान भी बना हुआ है और शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति यहाँ दयनीय हैं। देश की सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी (कुल आबादी का 21 प्रतिशत, जनगणना 2001 के अनुसार) वाले इस राज्य में शिशु मृत्यु दर 67 (एस.आर.एस 2008) है जबकि मातृ मृत्यु दर 359 (एस.आर.एस 2011) है। शिक्षा विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार कम-से-कम 27 लाख 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे उत्तर प्रदेश में शिक्षा से वंचित है। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी शिक्षक अनुपात 53.25 है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की स्थिति विकास की दृष्टि से चिंतनीय है।

वाराणसी इसी विकास के लिए संघर्ष करते उत्तर प्रदेश राज्य के 71 जिलों में से एक जिला। यह जिला वाराणसी शहर की अद्भुत् ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक विरासत की वजह से विश्व मानचित्र पर एक विशिष्ठ स्थान रखता है। गंगा नदी के तट पर बसे इस शहर को दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहर होने का गौरव प्राप्त है। गंगा नदी और उसके किनारे बने विभिन्न प्राचीन मंदिर और आश्रम जहाँ एक ओर लाखों हिन्दू तीर्थ यात्रियों को प्रतिवर्ष आकर्षित करते हैं तो पास ही स्थित सारनाथ, बौद्ध धर्म अनुयायियों के लिए पवित्र स्थल की मान्यता रखता है।

घाटों, मंदिरों, आश्रमों, धर्म व ज्योति का स्थल कहलाने वाले वाराणसी शहर का एक ज्योतिहीन पक्ष भी है जो इसे उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों से भी अधिक दयनीय बनाता है और वह है यहाँ

के एक बहुत बड़े वर्ग की गरीबी जो यहाँ की कच्ची बस्तियों और उनमें रहने वाले गंगा तट पर भीख माँगने वाले, कचरा बीनने वाले, रिक्शा चलाने वाले, ढाबों पर काम करने वाले व अन्य प्रकार की मज़दूरी करने वाले अशिक्षित व अस्वस्थ बच्चों के कुम्हलाए चेहरों से झलकती है। ये बच्चे हैं उन अभिभावकों के जिनके पास आजीविका का कोई गरिमामय साधन नहीं है, जो कुष्ठ जैसे रोगों की वजह से जीविकोपार्जन में अक्षम हो चुके हैं, जो स्वंय अशिक्षित हैं, बेघर हैं और सामाजिक–आर्थिक विकास से कोसों दूर हैं। कई बच्चे अनाथ भी हैं।

वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बच्चों का एक बहुत बड़ा तबका इसी तरह की परिस्थितियों का सामना कर रहा है। गरीबी, अशिक्षा व सरकारी सहायता के अभाव में यह तबका खेतों में, ईंट भट्टों में, निर्माण कार्यों में या शहरों में जाकर बारातों में लाइटों के गमले उठाने व अन्य प्रकार की बाल मज़दूरी करने के लिए मजबूर है। जो बाल मज़दूरी नहीं भी कर रहे हैं वे भी शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण सेवाओं की गुणवत्ता में कमी व दुर्गमता, एवं, लिंग व जाति आधारित भेदभाव जैसी सामाजिक विषमताओं की वजह से अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। ये बच्चे शोषण और हिंसा के भी शिकार होते हैं।

प्रयत्न ने जब वाराणसी में बच्चों की यह दुर्दशा देखी तो इसे ठीक से समझकर सुधारने का प्रयास का निश्चय किया। जिले में बाल अधिकार और फिर विशेष रूप से बाल उत्पीड़न की स्थिति का अध्ययन किया गया। अत्यंत चिंतनीय स्थिति उभरकर आई जो यह बताती थी कि यहाँ बड़ी संख्या में बच्चे उत्पीड़न का शिकार हैं। ऐसे में बच्चों के जीवन जीने और विकास से लेकर उनके संरक्षण व सहभागिता के तमाम अधिकारों पर कार्य करने की गहन आवश्यकता महसूस हुई। "सक्षम" परियोजना का जन्म इसी आवश्यकता के गर्भ से हुआ।

सक्षम परियोजना बच्चों के अधिकारों पर केन्द्रित एक ऐसी परियोजना है जिसका मूल उद्देश्य वंचित वर्ग के बच्चों व समुदाय तथा स्थानीय प्रशासन को इस तरह संवेदनशील व सक्षम बनाना है कि इन सभी बच्चों को अन्य बच्चों के समान सभी अधिकार प्राप्त हों। वर्ष 2008 में शुरु हुई इस परियोजना में जहाँ एक ओर 100 वंचित लड़कों व लड़कियों के लिए बाल

गृह चलाया गया, वहीं, दूसरी ओर जिले के चिरईगाँव व चोलापुर ब्लॉक के 30–30 गाँव तथा वाराणसी शहर की 40 कच्ची बस्तियों में सामुदायिक स्तर पर कार्य किया गया। बाद में इसी परियोजना के अंतर्गत पड़ोसी जिले भदोही में भी कार्य शुरु किया गया। इससे जहाँ एक तरफ बच्चों व अभिभावकों में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैली, वहीं दूसरी तरफ विद्यालय, आँगनबाड़ी, स्वास्थ्य सेवाओं, पेयजल आदि सुविधाओं की गुणवत्ता में व्यापक सुधार हुआ जिससे अंततोगत्वा बच्चों की शिक्षा, उनके पोषण, उनके स्वास्थ्य, आदि, की स्थिति में सुधार हुआ। साथ ही समाज व विद्यालय सहित सभी जगह भय और भेदभाव रहित सहयोगात्मक माहौल बना जिसमें बच्चों की सहभागिता का पूरा ध्यान रखा जाता है। बाल मज़दूरी व बाल हिंसा में भी इस वजह से उल्लेखनीय कमी आई है।

इस परियोजना रूपी मुहिम को सफल बनाने में हमें समाज के विभिन्न वर्गों का उत्साहवर्द्धक सहयोग मिला। चाहे वे बच्चे हों जिनके लिए व जिनके साथ यह कार्य किया गया, उनके अभिभावक एवं समुदाय के अन्य लोग हों जिन्होंने संगठित होकर इस मुहिम को मज़बूती दी या वे शिक्षक, आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, आशा सहयोगिनियाँ, पुलिसवाले, पंचायत प्रतिनिधि, आला सरकारी अफसर, अन्य स्थानीय संस्थाओं के कार्यकर्त्ता या मीडिया प्रतिनिधि जिनके सहयोग के बिना इस बदलाव को चिरस्थायी बनाना असंभव है। हम इन सबके आभारी हैं।

हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं बैक टू लाईफ व अर्न्स्ट एण्ड यंग के भी विशेष रूप से आभारी हैं क्योंकि आपने न सिर्फ इस परियोजना का वित्तपोषण किया बल्कि समय–समय पर मार्गदर्शन भी किया। व्यक्तिगत रूप में हम बैक टू लाईफ की संस्थापक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं परियोजना प्रबंधक तारा जी, जिन्होंने बैक टू लाईफ की प्रयत्न से भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया, और इसी संस्था के भारत के परियोजना प्रबंधक रहे कृष जी, जिन्होंने स्वयं की नियमित उपस्थिति एवं ऊर्जामयी मार्गदर्शन से परियोजना को सुदृढ़ता की ओर अग्रसर किया; के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार अर्न्स्ट एण्ड यंग के कार्यकारी निदेशक पारुल जी और उन्हीं के साथी विजय जी, नेहा जी, सुमित जी, सुनील जी व आकृति जी, जो इसी संस्था की डेवलपमेन्ट एडवाइज़री

सर्विसेज़ से जुड़े हुए हैं, का भी हमें नियमित सहयोग व मार्गदर्शन मिलता रहा है। हम इन सभी के अत्यंत कृतज्ञ हैं।

इन सबके अतिरिक्त समाज का एक और वर्ग है जो किसी भी परियोजना का आधार स्तंभ होता है और वे हैं परियोजना के कार्यकर्त्ता। "सक्षम" के साथ भी ऐसे कई कार्यकर्त्ता जुड़े जिन्होंने इसे इसके लक्ष्य तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉ. मनोज कुमार और श्रीमती चंदा जी जैसे साथी हमारे साथ परियोजना की शुरुआत से कर्मठता के साथ जुड़े हुए हैं जबकि श्री हाकिम मांझी व महेन्द्र जी जैसे अनुभवी साथियों के शुरुआती दौर में जुड़ाव ने परियोजना की नींव को मज़बूत करने में मदद की। इसी तरह मनीष जी, देवेन्द्रजी, ध्रमेन्द्र जी व रामखिलाड़ी जैसे अनुभवी साथियों का समय-समय पर परियोजना को सहयोग इसे समृद्ध बनाता गया। मौजूदा टीम, जिसमें देवेन्द्र जी के साथ मानब, अमरेन्द्र और सौम्यश्री जैसे युवा तथा 10 ऊर्जावान समुदाय प्रेरक शामिल हैं, इस मज़बूत नींव को एक नेतृत्वकर्त्ता शानदार इमारत के रूप में विकसित करने के लिए अथक प्रयास कर रहे है। ये सभी साथी संस्था की ओर से साधुवाद के पात्र है।

इस सब के अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उस टीम को जिसने सक्षम के इन अनुभवों को संकलित, संपादित व सुसज्जित कर एक रोचक पुस्तिका के रूप में विकसित किया। इसमें सबसे पहला नाम वरिष्ठ मार्गदर्शक श्री राम प्रसाद जी का जिन्होंने कार्यकर्त्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए सफलता दर्शाने वाले घटनाक्रमों को विश्लेषित कर उन्हे रोचक एवं ज्ञान वर्द्धक रूप में लिपिबद्ध किया। इस हस्तलिपि को प्रकाशनीय रूप तक लाने वाले संस्था के प्रलेखीकरण व प्रकाशन प्रकोष्ठ के सदस्य योगेश, अशरफ व गौरी इनका भी हार्दिक आभार। और उन सबका भी आभार जिन्होंने प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से इस परियोजना और इस पुस्तिका में योगदान दिया है मगर जिनका नाम यहाँ नामित नहीं हो पाया।

आशा है कि इन सबका यह प्रयास आपको रुचिकर तो लगेगा ही साथ-ही-साथ बाल अधिकार सुनिश्चित करने में अनुभवों को बाँटने, समझने और उत्तरोत्तर आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होगा।

आप सभी पाठकों का प्रयत्न की ओर से अभिनंदन और बच्चों के बेहतर भविष्य की कामना के साथ शुभकामनाएँ।

धन्यवाद!

मलय कुमार
मुख्य कार्यकारी, प्रयत्न

हमारी कार्यप्रणाली

प्रयत्न अपने कार्य में आवश्यकता आधारित कार्यप्रणाली की अपेक्षा अधिकार आधारित कार्यप्रणाली को प्राथमिकता देता है। इसकी वजह यह है कि अधिकार आधारित कार्यप्रणाली का प्रभाव व्यापक होता है जबकि आवश्यकता आधारित कार्यप्रणाली का प्रभाव समुदाय स्तर तक सीमित रहता है। इसके अलावा अधिकार अधारित कार्यप्रणाली के अंतर्गत कर्त्तव्य-वाहकों, यानि वे व्यक्ति या संस्थान जो अधिकार धारकों के प्रति उत्तरदायी हैं, की पहचान हो पाती है और उनकी तथा अधिकार-धारकों की भूमिका को समझते हुए संवैधानिक गुंजाइशों को सुगम कर अधिकार-धारकों के जीवन में चिरस्थायी रूप से सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है।

बच्चों के परिपेक्ष्य में यदि कार्यप्रणाली की बात की जाए तो 1989 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई तथा 1992 में भारत द्वारा स्वीकृत की गई संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सहमति प्रयत्न की कार्यप्रणाली की आधारशिला है। इसके अंतर्गत वर्णित बच्चों के जीवन जीने के, विकास के व सुरक्षा के अधिकार पर प्रयत्न जो भी कार्य करता है उसमें इसी की भावना के अनुरूप उनकी सहभागिता के अधिकार को उनके अन्य अधिकार प्राप्त करने की धुरी के रूप में अंगीकार किया जाता है। यह संभव होता है "बाल मंच" और उससे जुड़ी अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से जिसका विवरण इस प्रकार है :-

बाल मंच

बाल सहभागिता को परिभाषित किया गया है बच्चों के जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों व मुद्दों में उनकी सक्रिय, सार्थक और समावेशी भागीदारी के रूप में। इसके बेहतर तरीके शुरू होते हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनने से, बजाय इसके, कि सहभागिता की पूर्व-नियोजित तकनीकें शब्दशः लागू कर दी जाएँ। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसकी शुरूआत आदर्श रूप में हो यह ज़रूरी नहीं। बच्चे इसके लिए धीरे-धीरे तैयार होते हैं। बच्चों और बड़ों के बीच बाल अधिकार संबंधित

मुद्दों पर संवाद इसकी सफलता की पहली सीढ़ी है। बाल सहभागिता को बाल-केन्द्रित सामुदायिक विकास प्रक्रिया की सफलता के लिए आवश्यक माना गया है।

प्रयत्न ने बाल सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए अपने कार्य की शुरूआत गाँव स्तर पर बाल मंच के गठन से की। बाल मंच 25 से 50 बच्चों की खुली सदस्यता वाला एक मंच है जिसकी नियमित बैठकों के दौरान बच्चे उन समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं जिनका वे घर में, स्कूल में या गाँव में सामना करते हैं। यहाँ वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और एक-दूसरे का सहयोग भी करते हैं। इसके साथ ही वे अपनी पिछली प्रगति की समीक्षा करते हैं और आगे की कार्यवाही तय करते हैं। बाल मंच उनको मनोरंजन तथा व्यक्तित्व विकास का अवसर भी देता है। इसके लिए उनका समय-समय पर क्षमतावर्द्धन किया जाता है। शुरू में बैठक की यह प्रक्रिया संस्था कार्यकर्त्ता द्वारा सुगम की जाती है उसके बाद उभरते हुए बाल-नेता इसे संभालते हैं। इनमें से कुछ में तो, बिना किसी इरादे के, संस्थागत ढाँचा उभरकर आया है जिसमें कुछ बच्चों को पद धारक बनाया गया है और उनकी भूमिका भी निर्धारित की गई है।

बाल मंचों ने अपने गाँवों और विद्यालयों में बाल-सुलभ वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुत से मामलों में उन्होंने अपने साथियों की समस्याओं का समाधान भी करवाया है। लेकिन इन सबके दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि बच्चों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए वे अपना बचपना छोड़ बड़ों की भूमिका निभाने की ओर प्रेरित न हों। इस तरह की व्यवस्था विकसित की गई है कि बच्चे अपनी समस्याएँ बड़ों के सामने रखें और बड़े उन समस्याओं के समाधान हेतु पहल करें।

बच्चों द्वारा सूचक विकास

इस प्रयास के आरंभ में प्रयत्न के सभी साथियों का बाल आधारित स्थिति विश्लेषण पर एक आमुखीकरण किया गया, जिसके अंतर्गत स्थिति को बच्चों के दृष्टिकोण से समझने पर ज़ोर देते हुए इसका सही तरीका समझाया गया। इस प्रक्रिया को बच्चों द्वारा सूचक विकास की प्रक्रिया कहा जाता है। बच्चों के साथ मिलकर कार्यकर्त्ताओं ने फिर आधारभूत मूल्यांकन के लिए सूचकों की सूची बनाई जिसमें बाल अधिकार, बाल उत्पीड़न, शोषण एवं विद्यालय वातावरण संबंधी सूचक

शामिल थे। बाल मंच सदस्यों ने इस संबंध में जानकारी एकत्र की और प्रत्येक सूचक का 0 से 10 के माप पर प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया। समय-समय पर इसी आधार पर बच्चों द्वारा ही पुनर्मूल्यांकन भी किया गया ताकि वातावरण में बदलाव की समीक्षा की जा सके। कुछ नए सूचक भी इस समीक्षा की प्रक्रिया के दौरान तय हुए। बच्चों द्वारा तय की गई प्राथमिकता के आधार पर ही आगे की कार्यवाही तय की गई।

बाल अधिकार मंच

बाल अधिकार मंच गाँव के बड़ों का मंच है। यह गाँव में बच्चों के अधिकार सुनिश्चित करने और बाल मित्र वातावरण बनाने के लिए समुदाय आधारित संस्थान के रूप में कार्य करता है। इसमें 15-20 सकारात्मक विचारधारा वाली महिलाएँ एवं पुरूष शामिल होते हैं। इसमें समय-समय पर विभिन्न तरीकों से मानविक एवं संस्थागत क्षमता विकास हेतु इनपुट दिए गए हैं जिसकी वजह से यह एक ग्राम स्तरीय प्रतिनिधि निकाय के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। इसने विकास के वृहद् मुद्दों, जैसे बिजली, सड़क व पानी, को भी अपने काम के दायरे में लेना शुरू कर दिया है। अपनी सवंर्द्धित क्षमताओं की वजह से बाल अधिकार मंच सदस्य ग्राम स्तरीय विकास समितियों में जगह बनाकर बाल विकास संबंधी कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने में कामयाब हुए हैं। मंच द्वारा समुदाय आधारित व्यवस्थाओं एवं तंत्रों का भी निर्धारण किया गया है ताकि वे बच्चों के अधिकार प्रोत्साहित एवं सुरक्षित हो सकें। इन्होंने पंचायती राज संस्थाओं से भी समन्वय स्थापित किया है ताकि बच्चों के मुद्दों को सेवा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी विभागों तक पहुँचाया जा सके।

बाल अधिकार मंच व बाल मंच में समन्वय पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। चाहे मुद्दा बाल विवाह का हो या घरेलू हिंसा का, शारीरिक दंड का हो या बच्चों के विद्यालय छोड़ने का या फिर बाल श्रम जैसा मुद्दा हो, बच्चे इसे बाल अधिकार मंच के सामने लाते हैं और बाल अधिकार मंच इसे समाधान हेतु परिवार या अन्य स्तरों तक ले जाता है।

समुदायिक व्यवस्थाएँ

बाल अधिकार मंच द्वारा बच्चों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कई तरह की सामुदायिक व्यवस्थाएँ तय हुई हैं हो रही हैं। कई संकल्प लिए गए हैं और उन संकल्पों को प्राप्त करने के लिए कई तरह के नियम बनाए गए हैं जैसेः–

संकल्प

- सभी बच्चों व बड़ों को बाल अधिकारों की सही समझ हो यह सुनिश्चित किया जाएगा।
- बच्चों के हितों पर समुचित ध्यान दिया जाएगा और उनकी बात को प्राथमिकता के साथ सुना जाएगा।
- बच्चों का नियमित विद्यालय जाना तथा वहाँ पढ़ाई व मध्याह्न भोजन की गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
- गाँव में जुआ शराब व बच्चों के साथ मार–पीट व गाली–गलौच बंद किए जाएँगे।
- बच्चों के हितार्थ सरकारी संस्थानों व गैर–सरकारी संस्थाओं से तालमेल स्थापित किया जाएगा, आदि।

नियम

- बाल अधिकार मंच की नियमित बैठक करना व उसमें अधिकाधिक सदस्यों की उपस्थिति व सहभगिता
- विद्यालय व आँगनबाड़ी केन्द्रों का समुदाय प्रतिनिधियों द्वारा नियमित निरीक्षण
- बाल अधिकारों का उल्लंघन करनेवाले, जुआ खेलने व शराब पीने वालों को सामुदायिक दंड एवं पुलिस में शिकायत।
- बच्चों के अधिकार सुनिश्चित करने में होने वाले खर्चे को उठाने हेतु ग्राम कोष का गठन आदि।

आवश्यकता आधारित कार्यप्रणाली का आंशिक उपयोग

सक्षम परियोजना हालांकि मूल रूप से अधिकार आधारित कार्यप्रणाली के अनुसार नियोजित की गई है पर इसमें आवश्यकता आधारित कार्यप्रणाली का भी कुछ अंश शामिल किया गया हैं इसका मकसद उस समयावधि में जब तक कि अधिकार आधारित कार्यप्रणाली का प्रभाव दिखना शुरु हो, तब तक बच्चों को हो रहे नुकसान की भरपाई करना था। हम सभी जानते है कि बाल्यकाल में स्वास्थ्य, शिक्षा आदि में हुए नुकसान की भरपाई भविष्य में कर पाना आसान नहीं होता। इसलिए, जहाँ हर गाँव व कच्ची बस्ती में बच्चों व बड़ों दोनों के लिए स्वास्थ्य जाँच व चिकित्सा के शिविर लगाए गए वहीं औपचारिक शिक्षा का कोई विकल्प सुलभ नहीं होने की स्थिति में कच्ची बस्तियों में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाए गए। निराश्रित बच्चों के लिए बाल गृह का संचालन व गरीब परिवारों के लिए चिकित्सकीय व आर्थिक सहयोग दिया जाना भी इसी श्रृंखला की कड़ी है। पर समझना होगा कि अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने का पुट इन सभी विकल्पों में था ओर इन्हें अन्ततोगत्वा सरकारी व सामाजिक सहयोग व्यवस्थाओं से जोड़ना ही अंतिम उद्देश्य है।

“सक्षम होते हम” पुस्तिका में आगे प्रस्तुत की गई कहानियाँ वाराणसी में प्रयुक्त हुई अधिकार आधारित कार्यप्रणाली के इस स्वरूप को स्पष्ट करेंगी। कृपया ज़रूर पढ़ें...

सधन्यवाद1 !

मनीष सिंह

कार्यकारी निदेशक, प्रयत्न

विषय - सूची

उनको भी सरकारी सुविधाएँ मिल सकतीं हैं !
जागरूकता का टीका
साइकिल से उड़ान
संगठित प्रयास, अधिकारों की आग
अनिता ने कही, अनिता ने मानी
जीवन-ज्योति
पोषण, शिक्षा पूरा प्यार, हम बच्चों का है अधिकार!
अब टिफिन नहीं ले जाना पड़ता
पानी से बना पुल
अलख जग उठी
निःशुल्क शिक्षा का अधिकार
जब जागो तब ही सवेरा
खेल हो, खिलवाड़ न हो
समृद्धि की कुंजी
मिलकर काम करने पर ही ...
हौसला बढ़ रहा था ...
योजना यूँ ही फल नहीं देती ...
हक, बनाम हकीकत, बनाम हक बना हकीकत
मान लो, नहीं तो ...
शौचालय
बालिका शिक्षा सामाजिक दीक्षा
बैंड-बाजा-बारात-रोशनी
हर समस्या का समाधान होता है

नया माहौल
एक सिक्के के दो पहलू
अब देर नहीं होगी।
आँखों देखी
मेरा अनुभव
बात बन गई
सामाजिक दबाव, सामाजिक बदलाव
लड़ेंगे... जीतेंगे...
नेहा की शादी
सक्षम होते हम

***

1. उनको भी सरकारी सुविधाएँ मिल सकती हैं !

शीला पिछले तीन दिन से अतिसार (उल्टी–दस्त) से ग्रसित है। शीला स्थानीय प्राथमिक विद्यालय की पाँचवी कक्षा की छात्रा है। पढ़ाई में होशियार है। अध्यापक लोग भी शीला की पढ़ाई में रुचि एवं लगन से खुश हैं। लेकिन शीला पिछले कई दिनों से विद्यालय में अनुपस्थित चल रही है। वार्षिक परीक्षा भी अगले सप्ताह से शुरू हो रही है।

विद्यालय के अध्यापकजी ने शीला के पिता राम बहादुर को सूचित किया कि शीला कई दिनों से अनुपस्थित चल रही है, अगले सप्ताह परीक्षा शुरू हो जाएगी, शीला को अब लगातार विद्यालय भेजें।

राम बहादुर के लिए चिंता के समाचार थे। वे शीला को जो उल्टी–दस्त हो रहे थे, उसके लिए सामान्य घरेलू नुस्खे ही काम में ले रहे थे। शीला को डॉक्टर को नहीं दिखाया था। राम बहादुर शीला को तुरंत नज़दीक के एक निजी अस्पताल में लेकर गए और डॉक्टर को दिखाया, निवेदन किया कि दवाई ऐसी दें जिससे शीला तुरंत ठीक हो जाए।

डॉक्टर ने शीला का परीक्षण कर दवाई दी, राम बहादुर को आश्वस्त किया कि शीला तुरंत ठीक हो जाएगी, साथ ही यह भी बताया कि शीला को उल्टी–दस्त दूषित पानी पीने की वजह से हुए हैं। इसे पीने के लिए सुरक्षित पेयजल ही दें या जो पानी आप पीने के काम में ले रहे हैं उसे उबाल कर ठंडा करें और वही छानकर पानी शीला को पीने के लिए दें।

राम बहादुर ग्राम रुस्तमपुर, विकास खण्ड चिरईगाँव, जिला वाराणसी के रहने वाले हैं। गाँव में 800 परिवारों की आबादी है। गाँव में सभी समुदाय के लोग रहते हैं। राय बहादुर गाँव की हरिजन बस्ती में रहते हैं। गाँव विकास खण्ड से 4 कि.मी. एवं जिला मुख्यालय (जनपद) से 10 कि.मी. की दूरी पर बसा है। कृषि, पशु–पालन एवं मज़दूरी गाँव में आय का मुख्य स्रोत है। हरिजन समुदाय मुख्यतया मज़दूरी पर निर्भर है।

हरिजन बस्ती में पेयजल का मुख्य स्रोत है हैंडपम्प, जो चारों ओर से गन्दगी व कीचड़ से भरे तालाब से घिरा है। केवल शीला ही नहीं बस्ती के अन्य लोग भी पानी–जनित बीमारियों से ग्रसित हैं। शीला की तबियत इलाज के बाद ठीक हो चली थी, वह विद्यालय जाने लग गई थी, राम बहादुर डॉक्टर के बताए अनुसार पूरी सावधानी बरत रहे थे ताकि शीला दुबारा बीमार न हो जाए।

बाल अधिकार मंच की बैठक के दौरान राम बहादुर ने इस समस्या को चर्चा तथा समाधान के लिए रखा तथा डॉक्टर ने जो बताया था उस बात को विस्तार से रखा कि बस्ती में ज़्यादातर बीमारियाँ दूषित पानी पीने से हो रही है। सीता देवी, इन्द्रावती, भगवानदास एवं मुंशी ने भी चर्चा में भाग लिया तथा बताया "मंच (बाल अधिकार मंच) ने जब बस्ती का सूक्ष्म स्तरीय नियोजन किया था तब भी पेयजल हमारी प्राथमिक समस्या थी जिसपर हम लोग अभी कुछ नहीं कर पाए हैं। हमको केवल बात ही नहीं करनी है बल्कि तुरंत इस समस्या के समाधान के लिए कदम उठाना होगा।"

तय किया गया कि कल ही राम बहादुर, भगवानदास एवं इन्द्रावती ग्राम–प्रधान (सरपंच) से मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए बात करेंगे।

लोग जब सरंपच से मिले तो आश्वासन मिला। काम नहीं हुआ। दोबारा मिले तो जवाब मिला "मैं कोई मदद नहीं कर सकता, आप लोग ऊपर वालों से बात करें।"

बाल अधिकार मंच की बैठकों एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से सदस्यों (बाल अधिकार मंच) को यह जानकारी थी कि पंचायत स्तर पर काम न हो तो अगला कदम क्या उठाया जाए।

बाल अधिकार मंच के सदस्यों ने खण्ड विकास अधिकारी के नाम एक प्रार्थना-पत्र तैयार किया जिसमें समस्या का पूरा विवरण था और दूषित पानी की वजह से बस्ती में फैल रही बीमारियों का ज़िक्र था तथा चाहा था कि बस्ती में एक नया हैंडपम्प सुरक्षित जगह पर लगे जिसके आस-पास दूषित पानी या कीचड़ नहीं फैलता हो।

प्रार्थना-पत्र पर प्रभावित सभी परिवारों के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए व मंच के तीनों सदस्यों ने खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय पहुँचकर खण्ड विकास अधिकारी को समस्या से अवगत करा लिखित प्रार्थना-पत्र सौंपा। शीघ्र ही समस्या समाधान का आश्वासन लेकर लौटे। तय किया था कि अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो वे दस दिन बाद दोबारा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय जाएँगे।

वही हुआ, तीनों लोगों को दोबारा खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय जाना पड़ा। खण्ड विकास अधिकारी भी समझ गए थे कि रुस्तमपुर की इस बस्ती की समस्या का समाधान नहीं होने से ये लोग वापस आए हैं। इस बार पक्का आश्वासन मिला कि एक सप्ताह में बस्ती में हैंडपम्प लग जाएगा।

आखिर संबंधित विभाग के लोग तय समय सीमा में बस्ती आए और नया हैंडपम्प बस्ती की सुविधा तथा सुरक्षित जगह, जो बस्ती वालों ने स्वयं बताई थी, उस जगह पर लगाया। हैंडपम्प से पानी मिलना शुरू हो गया है।

लोग खुश हैं। आश्वस्त भी हैं कि अब कोई शीला उल्टी-दस्त से परेशान नहीं होगी। ओर किसी बच्चे का इस वजह से स्कूल नहीं छूटेगा। बड़ों को भी राहत मिली और लगा कि उनको भी सरकारी सुविधाएँ मिल सकती हैं।

***

2. जागरूकता का टीका

आज कार्यकर्त्ता जब बस्ती पहुँची तो रसीना बीबी, सरिफा एवं गुड़िया रास्ते में ही मिल गईं। एक अन्य महिला, जो इसी बस्ती की थी, उसकी गोद में एक बच्ची, जो करीब दो-ढाई साल की थी, बुरी तरह से खाँस रही थी। बच्ची का मुँह भी लाल हो रहा था, रो भी रही थी। माँ बार-बार बच्ची को चुप करवाने व खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्ची चुप नहीं हो रही थी।

जब जानकारी चाही कि बच्ची को क्या हुआ है तो माँ ने अनभिज्ञता जाहिर की 'पता नहीं क्या हुआ है?"

जब इलाज या टीका लगवाने की बात पूछी तो रसीना बीबी ने बताया, ''यहाँ बस्ती में कोई टीका नहीं लगवाता।'' कारण पूछने पर कहा, "टीका लगवाने से क्या होता है? उल्टा बच्चे-बच्चियों को बुखार हो जाता है, पक जाता है। ऐसा हमने सुना है।"

तीनों महिलाएँ बाल अधिकार मंच की सदस्य हैं। बात होते-होते दूसरी महिलाएँ भी इकट्ठी हो गईं। आज बाल अधिकार मंच की बैठक होनी थी। बातचीत की शुरूआत बच्चों के टीकाकरण को लेकर हुई। जानकारी का अभाव एवं गलत जानकारी की वजह से बस्ती में बच्चों का टीकाकरण नहीं हो रहा था। टीकाकरण की ज़रूरत, महत्व एवं सुविधा इत्यादि पर पूरी बात हुई। महिलाओं एवं दूसरे लोगों ने माना की टीकाकरण करवाना चाहिए, "करवाएँगे" यह आश्वासन भी दिया। लेकिन यह समझना मुश्किल था कि सच में टीकाकरण के लिए ये लोग गम्भीर हैं या नहीं। तय किया गया कि अगले दिन रसीना बीबी, गुड़िया एवं सरिफा संस्था कार्यकर्त्ता के साथ स्वास्थ्य केन्द्र जाएँगी तथा इस विषय में और जानकारी लेंगी।

यह बस्ती वाराणसी शहर में स्थित एक कच्ची बस्ती है जो नई बस्ती 2 एवं 3 के नाम से जानी जाती है। बस्ती में 256 परिवारों में लगभग 600 की आबादी है। सभी परिवार मुस्लिम समुदाय के हैं जो पश्चिम बंगाल से आकर यहाँ झुग्गी-झोपड़ियों में रह रहे हैं। ज़्यादातर लोग कचरा बीनने का काम करते हैं। कुछ लोग रिक्शा या रिक्शा ट्रॉली भी चलाते हैं। यही है बस्तीवालों का रोज़गार

जिससे वे अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। ये बताते हैं, "बंगाल में रोज़गार नहीं है, हम लोग पढ़े-लिखे भी नहीं है। इसलिए यहाँ आकर बसे हैं। अन्य काम-धन्धा हम जानते नहीं इसलिए कचरा बीनना या रिक्शा चलाना ही हमारे रोज़गार का साधन है।"

तय समय पर कार्यकर्त्ता बस्ती पहुँची। तीनों महिलाएँ (रसीना बीबी, गुड़िया एवं सरिफा) तैयार थीं। चारों मिलकर स्वास्थ्य केन्द्र पहुँचीं। वहाँ पर कच्ची बस्ती क्षेत्र से संबंधित ए.एन.एम. किरण जी से संपर्क किया। किरण जी को कार्यकर्त्ता ने पूरी स्थिति से अवगत करवाया, स्वास्थ्य केन्द्र से संबंधित जानकारी तथा टीकाकरण की विस्तृत जानकारी देने हेतु आग्रह किया। किरण जी ने अपना दायित्व समझकर पूरी जानकारी दी। टीकाकरण की ज़रूरत, बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के कब-कब एवं कौन कौन-से टीके लगने चाहिए, पल्स पोलियो कार्यक्रम, इत्यादि, के बारे में दृश्य-श्रव्य के माध्यम से भी महिलाओं को समझाया।

स्वास्थ्य केन्द्र में आकर जाँच करवाने तथा इलाज की व्यवस्थाओं से भी अवगत करवाया ताकि आवश्यकता पड़ने पर स्वास्थ्य केन्द्र की सेवाएँ लीं जा सकें। मात्र रु. 1 की पर्ची बनवानी होगी और काम हो जाएगा। हर महीने आखिरी बुधवार को ए.एन.एम. आएँगी यह तय हुआ।

महिलाएँ आश्वस्त होकर बस्ती लौटीं थीं। पूरी बस्ती में तीनों महिलाओं ने बताया कि तय बुधवार को जब ए.एन.एम. आए तो सब यहीं मिलें।

बस्ती में बच्चों के टीकाकरण की शुरूआत हो चुकी है। पहली बार 7 बच्चियों एवं 2 बच्चों को आवश्यक टीके लगे। तय हुआ है कि कोई बच्चा या बच्ची टीकाकरण या पोलियो की दवा पीने से वंचित न रहे। बाल अधिकार मंच इसकी निगरानी रखेगा।

इसका अनुसरण नई बस्ती IV एवं बधवा नाला में भी हुआ। वहां भी टीकाकरण की शुरूआत हो चुकी है। नई बस्ती IV में 5 बच्चों एवं बधवा नाला में भी 5 बच्चों का टीकाकरण हुआ। सामुदायिक जागरूकता व संवेदनशीलता के टीके ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था।

***

3. साइकिल से उड़ान

पाँचवी कक्षा का परिणाम आ चुका था। पूजा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुई थी। पढ़ाई में होशियार थी। पूजा के साथ उसकी सहेलियाँ भी पाँचवीं उत्तीर्ण हुई थी। पूनम उसकी अच्छी सहेली थी।

जैसे ही परिणाम आया, सब सहेलियाँ खुश हुईं लेकिन आगे की पढ़ाई को लेकर चिंतित एवं मायूस थीं। गाँव में केवल पाँचवी कक्षा तक ही विद्यालय था, आगे की पढ़ाई के लिए पूर्व माध्यमिक विद्यालय जाना पड़ेगा, जो दूसरे गाँव (चौबेपुर) में है और 3 कि.मी. दूर है।

माता-पिता वैसे भी पाँचवी कक्षा के आगे लड़कियों को पढ़ाने के लिए नहीं सोचते और दूसरे गाँव पढ़ने जाने के लिए भेजना तो और भी मुश्किल है। यही चिंता थी सबकी। सब लड़कियाँ बाल मंच की सदस्य थी। बाल मंच में हमेशा पढ़ाई पर बातें होती थीं, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था।

पूजा के पिताजी फूलचंद गाँव में बने बाल अधिकार मंच के सक्रिय सदस्य हैं। बच्चे-बच्चियों की पढ़ाई एवं उनके अधिकारों के प्रति सचेत हैं। पूजा की पढ़ाई कैसे जारी रहे यही सोच रहे थे। आखिर पूजा से पूर्व माध्यमिक विद्यालय गाँव से दूर होने तथा रोज़ाना अकेली विद्यालय जाने की समस्या पर बात की।

''मैं साइकिल से विद्यालय जाऊँगी।'' पूजा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया।

पूजा साइकिल चलाना जानती है। फूलंचद ने भी अपनी बेटी का उत्साहवर्द्धन किया, समस्या का समाधान हो गया था। बाप-बेटी दोनों खुश थे। पूजा ने दूसरे गाँव के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश लेकर साइकिल से विद्यालय जाना शुरू किया।

फूलचंद गाँव परानापुर, ब्लाक चोलापुर, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। परानापुर ब्लॉक चोलापुर से 8 कि.मी. एवं जिला मुख्यालय से 13 कि.मी. की दूरी पर बसा है। गाँव में कुल आबादी 600 है। गाँव में ब्राह्मण, यादव एवं हरिजन समुदाय के लोग रहते हैं। लोगों का मुख्य व्यवसाय मज़दूरी है। कृषि एवं पशुपालन न्यूनतम है।

फूलचंद, जो हरिजन समुदाय से हैं, मज़दूरी से अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। पत्नी बिंदु देवी घर का कामकाज करतीं हैं। फूलचंद की वार्षिक आय अधिकतम 15,000 से 16,000 रु. है जिससे वे अपने परिवार की रोटी एवं बच्चों की पढ़ाई एवं अन्य ज़रूरतों को पूरा करते हैं।

पूजा एवं उसकी सहेलियाँ जब शाम को मिलतीं तो इसी पर चर्चा होती कि पूनम एवं अन्य सहेलियाँ कैसे अपनी आगे की पढ़ाई करें। बाल मंच की बैठक में भी यह चर्चा हुई थी और तय किया था कि इस समस्या का समाधान बाल अधिकार मंच से निकलवाएँगे। तय किया गया कि आगे होने वाली बाल अधिकार मंच की बैठक में सब शामिल होंगे और अपनी बात रखेंगे।

बाल अधिकार मंच की बैठक में बाल मंच के बच्चे पहुँचे। सबसे पहले उन्हीं की बात को सुना गया। फूलचंद के अलावा बच्चियों के सभी अभिभावक पढ़ाई के खर्चे, विद्यालय का दूर होना व बच्चियों को अकेली भेजने की समस्या बता रहे थे, यद्यपि बच्चियाँ आगे पढ़ें, इसके लिए सहमत थे।

फूलचंद एवं दो-तीन दूसरे सदस्य, जो बच्चों के अधिकार, शिक्षा इत्यादि के प्रशिक्षणों एवं कार्यशालाओं में भाग ले चुके थे, उन्होंने शिक्षा के महत्व पर अपनी बातें रखीं। तय किया गया कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश योग्य बच्चे-बच्चियाँ, जिन्होंने अभी प्रवेश नहीं लिया है, उनको पूर्व माध्यमिक विद्यालय चोबेपुर में प्रवेश दिलाया जाएगा।

यह भी तय किया गया कि पूनम, ममता एवं अन्य लड़कियों के अभिभावक अपनी लड़कियों के लिए साइकिल की व्यवस्था करेंगे। साइकिल चलाना सिखाने की ज़िम्मेदारी पूजा ने स्वयं ने ली।

सब लड़कियाँ खुश है। सबने पूर्व माध्यमिक विद्यालय चोबेपुर में प्रवेश ले लिया है। पूनम व ममता तो साइकिल चलाना सीख भी चुकी हैं। बाकी लड़कियाँ भी सीख रहीं हैं। सब के अरमानों को जैसे आशाओं के पंख लग गए हैं। साइकिल से वे केवल स्कूल ही नहीं जा सकेगी बल्कि अपने विकास और सशक्तिकरण के क्षितिज की ओर उड़ान भी भर सकेंगी।

***

4. संगठित प्रयास, अधिकारों की आग

आज दौलतपुर (उसरा) के विद्यालय में कई बच्चों को वजीफे (छात्रवृत्ति) का वितरण हुआ था। छात्रवृत्ति उन बच्चों को दी गई थी जिनके अभिभावक गरीब हैं या जिनकी आय कम है।

विकास, अमित, चन्द्रभान एवं अंकित भी इसी विद्यालय के विद्यार्थी हैं। इनको छात्रवृत्ति नहीं मिली थी। दोपहर में खाना खाने की छुट्टी के दौरान सबने आपस में बात की ''छात्रवृत्ति तो हमें भी मिलनी चाहिए लेकिन पता नहीं क्यों नहीं मिली?''

सब बात करते-करते खाने बैठे। दोपहर का खाना विद्यालयों में बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत दिया जाता है जो एक संस्था से बनकर आता है। खाने में स्वाद नहीं था, अच्छा भी नहीं लगा। बेमन से खाना खाया और अपनी-अपनी कक्षाओं में जाकर बैठ गए।

शाम को विद्यालय की छुट्टी होने के बाद चारों बच्चे साथ-साथ बस्ती की तरफ बात करते हुए जा रहे थे। अमित ने पूछा, ''यार चन्द्रभान, बाल मंच की बैठक में तो यही बात होती है कि सब बच्चे समान हैं। फिर हमको छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिली? पिछले कई दिनों से विद्यालय में खाना भी सही नहीं मिल रहा है।''

''आज बाल मंच की बैठक में बात करेंगे, संस्था से दीदी भी आएँगी, उनसे पूछेंगे, वे ही कुछ बताएँगी।'' चन्द्रभान ने जवाब दिया।

बाल मंच की बैठक इसी चर्चा से शुरू हुई। दीदी ने बताया, ''इस समस्या के लिए हमारी बस्ती के बाल अधिकार मंच की बैठक में आप अपनी बात रखें। वे लोग इस संबंध में विद्यालय में बात करेंगे। पात्रता रखने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन बच्चों का अधिकार है।''

तय किया गया कि चन्द्रभान, अमित एवं खुशबू बाल मंच की तरफ से बाल अधिकार मंच की बैठक में शामिल होकर इस समस्या के समाधान के लिए बात करेंगे।

बाल अधिकार मंच की बैठक में तय अनुसार चन्द्रभान, अमित एवं खुशबू भी शामिल हुए थे। बैठक में इन बच्चों एवं अन्य बच्चों के सभी अभिभावक थे, जिनको बच्चों ने घर पर भी बता दिया था कि विद्यालय में दोपहर के भोजन में गुणवत्ता की व्यवस्था ठीक नहीं है तथा इस बस्ती के किसी भी बच्चे का नाम छात्रवृत्ति के लिए नहीं भेजा गया है। बैठक में बच्चों को सबसे पहले बोलने का मौका दिया ताकि सब लोगों को पता चल सके कि बस्ती के बच्चों को विद्यालय में किस प्रकार की तकलीफों एवं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

बच्चों ने पूरी बात रखी। विचार-विमर्श के बाद तय किया गया कि लखपति, जड़ावती, अन्नपूर्णा एवं अनिल कुमार विद्यालय जाकर इस विषय में प्रधानाध्यापिका से बात करेंगे।

दौलतपुर (उसरा) वाराणसी शहर में बसी एक कच्ची बस्ती है जिसमें 165 परिवारों में लगभग 1000 की आबादी है। ये सभी परिवार बंगाली समुदाय से हैं तथा यहाँ आकर बसे हैं। सभी लोग अपने घरों में रहकर पीतल व लोहे से छोटे-छोटे सामान तैयार करते हैं जो मालाओं, छोटी मूर्तियों, इत्यादि, में काम आते हैं। वाराणसी पर्यटन नगर होने की वजह से इन सामानों की खपत है। यद्यपि आय की दृष्टि से इस धंधे में बहुत अधिक आय नहीं होती लेकिन परिवार का गुजारा चल जाता है।

बाल अधिकार मंच के चारों सदस्य (लखपति, जड़ावती, अन्नपूर्णा एवं अनिल कुमार) स्थानीय सरक. ारी विद्यालय की प्रधानाध्यापिका से मिले। अपनी बात रखी। प्रधानाध्यापिका ने बताया, "छात्रवृत्ति के लिए आवेदन-पत्र फरवरी माह में भरे जाएँगे, आप सभी बच्चों के अभिभावक अपने सभासद से आय-प्रमाण पत्र बनवा लें। पात्र छात्रों के आवेदन पत्र मंजूरी के लिए विभाग को भिजवा

दिए जाएँगे, मंजूरी आने पर छात्रों को उनकी छात्रवृत्ति दे दी जाएगी। जहाँ तक मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की बात है तो आपूर्ति करने वाली संस्था को समय-समय पर हम बताते हैं। आप लोगों में से कोई भी भोजन के समय विद्यालय आए, देखे तथा आपूर्तिकर्ता संस्था को अपना सुझाव दे।"

चारों लोग विद्यालय से आश्वस्त होकर लौटे। अन्नपूर्णा एवं जड़ावती ने विद्यालय की भोजन व्यवस्था देखने का जिम्मा लिया जबकि लखपति देवी एवं अनिल कुमार ने सभासद से आय-प्रमाण पत्र बनवाने का जिम्मा लिया। दो-तीन बार विद्यालय जाने और भोजन व्यवस्था देखने पर मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता में सुधार हो चुका है। छात्रों के अभिभावकों के आय-प्रमाण पत्र बनवाकर आवेदन किए गए। 6 बच्चों (विकास, अमित, भारतीय, चन्द्रभान, खुशबू एवं अंकित) को छात्रवृत्ति का लाभ मिल चुका है।

बच्चे एवं अभिभावक अब खुश हैं। संगठित प्रयास उन्हें और उनके बच्चों को समान अधिकार दिला सकते हैं, यह आस उनके मन में जागृत हुई है।

***

5. अनिता ने कही, अनिता ने मानी

पिछले कुछ समय से रसूलगढ़ गाँव में बच्चों को लेकर ज़्यादा ही चर्चाएँ हो रहीं हैं। आशा एवं अनिता जब से बाल अधिकार मंच से जुड़ी हैं बच्चों के बारे में ज़्यादा-ही चिंता करतीं हैं। सीधा बोलतीं हैं, "एक तो हम लोग वैसे ही बच्चों पर ध्यान नहीं देते साथ ही गाँव में जो बच्चों की पढ़ाई एवं पोषाहार की सुविधाएँ है वे भी ठीक नहीं हैं, वे आँगनवाड़ी केन्द्र की सेवाओं से संतुष्ट नहीं हैं।"

दोनों महिलाएँ गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं तथा जिनके बच्चे छोटे हैं, आँगनवाड़ी जाने की उम्र के हैं, उनकी माताओं को आँगनवाड़ी की सुविधाओं पर बताती रहतीं हैं।

आज गायत्री, आशा को अचानक मिली और पूछने लगी, ''हम आँगनवाड़ी की सेवाओं की बात तो करते हैं, उन सेवाओं व सुविधाओं की समुदाय को ज़रूरत भी है, लेकिन हमारे यहाँ का आँगनवाड़ी केन्द्र तो कभी खुलता ही नहीं और कभी खुल भी गया तो वहाँ इस प्रकार की सुविधाएँ कभी देखने को नहीं मिलतीं। हमें मिलकर कुछ करना चाहिए। कल बाल अधिकार मंच की बैठक में इस विषय पर चर्चा कर निर्णय लेंगे।''

ग्राम रसूलगढ़, विकास खण्ड चिरईगाँव जिला (जनपद) वाराणसी का गाँव हैं। विकास खण्ड मुख्यालय से 5 कि.मी. एवं जिला मुख्यालय से 8 कि.मी. की दूरी

पर बसा है रसूलगढ़। यहाँ अनुसूचित जाति के 600 परिवार बसे हैं। परिवारों में आय का मुख्य स्रोत दैनिक मज़दूरी है।

आज बाल अधिकार मंच की बैठक में सदस्यों के अलावा समुदाय के अन्य लोग भी मौजूद थे। आशा ने आँगनवाड़ी केन्द्र की समस्या को विस्तार से रखा। केन्द्र का नहीं खुलना, बच्चों को, धात्री माताओं को एवं गर्भवती महिलाओं को पोषाहार नहीं मिलना और इसकी वजह से बच्चों एवं माताओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभ. ाव को भी बताया। क्या करना चाहिए इसपर सबकी राय ली गई। लगभग सभी की एक ही राय थी, "केन्द्र गाँव का है, केन्द्र संचालिका भी गाँव की है, सबसे पहले कोई दो–तीन लोग हम सबकी तरफ से केन्द्र संचालिका से बात कर केन्द्र को नियमित खोलने तथा पात्र बच्चों एवं महिलाओं को नियमित पोषाहार देने के लिए कहना चाहिए तथा हमें निगरानी भी रखनी होगी।"

तय हुआ कि आशा, अनिता एवं बुद्ध भास्कर केन्द्र संचालिका, जिनका भी नाम अनिता था, से मिलकर केन्द्र को नियमित एवं सुचारू रूप से संचालित करने की बात करेंगे। यह भी बता देंगे कि अच्छा यही रहेगा कि इस मुद्दे को आगे अधिकारियों तक न ले जाना पड़े।

तीनों लोगों ने आँगनवाड़ी संचालिका से बात की। आश्वासन मिला "अब केन्द्र सुचारू रूप से नियमित चलेगा।"

उम्मीद थी कि व्यवस्था सुधर जाएगी। लेकिन पूरा सप्ताह निकलने पर भी कोई बदलाव नहीं दिखा। बीच-बीच में दूसरे लोगों ने भी केन्द्र संचालिका से बात की। लेकिन शायद केन्द्र संचालिका ने यही सोचा होगा कि लोगों के बात करने से क्या फर्क पड़ता है?

अगली बैठक में फिर से चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि खण्ड स्तर पर ज़िम्मेदार बाल विकास परियोजना अधिकारी को इसके लिए आवेदन किया जाए। पत्र तैयार किया गया, सभी ने हस्ताक्षर किए। तय हुआ कि आशा, अनिता एवं बुद्ध भास्कर के साथ दो लोग और भी चिरईगाँव जाकर बात करेंगे।

लोग बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय पहुँचे। समुदाय की तरफ से पत्र दिया गया तथा समस्या पर विस्तार से बात की। आश्वासन मिला कि वे इसी सप्ताह रसूलगढ़ आकर व्यवस्था को ठीक करवाएँगे।

तय समय में बाल विकास परियोजना अधिकारी रसूलगढ़ पहुँचे। केन्द्र संचालिका को साथ लेकर समुदाय से बात की। तय हुआ कि अगले दिन से केन्द्र नियमित चलेगा। केन्द्र संचालिका किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही नहीं करेगी। आगे अगर शिकायत आती है तो नियमानुसार कार्यवाही कर केन्द्र को व्यवस्थित चलाने की अन्य व्यवस्था की जाएगी।

दूसरे दिन सबकी नज़र आँगनवाड़ी केन्द्र पर थी। कार्यवाही का असर दिख रहा था। सही समय पर ताला खुला, साफ-सफाई हुई, पात्र बच्चे घर-घर से केन्द्र पर आ रहे थे। पूरे मोहल्ले में छोटे बच्चों की आवाज़ गूँज रही थी। पोषाहार की खुशबू निकट के घरों में महसूस हो रही थी।

सभी लोग अपनी सफलता खुश हुए। कहने लगे, "एक अनिता ने कही, दूसरी अनिता ने मानी, यही है रसूलगढ़ आँगनबाड़ी केन्द्र की कहानी"।

***

6 जीवन-ज्योति

आज सुनील एवं वनिता बनारस से अपने गाँव कोटवा लौटे हैं। सभी हमउम्र दोस्त दोनों का इन्तज़ार कर रहे थे, आते ही सब दोस्त बच्चों से मिले। सब बच्चे उत्सुक थे कि सुनील एवं वनिता बनारस से नया क्या सीख कर आए हैं। दोनों बच्चे बाल मंच के चयनित सदस्यों के प्रशिक्षण से लौटे थे।

''बड़ा मज़ा आया'', सुनील बता रहा था, ''क्या गाने गाए हैं! क्या खेले हैं! दूसरे गाँवों के बच्चे भी थे, सबने अपने-अपने मंचों के बारे में बताया। हमने भी बताया। हम बच्चों के भी अलग से अधिकार हैं, इसकी पूरी समझ बनी और हम बोलकर भी आए हैं कि कोटवा के सब बच्चों के अधिकारों के लिए हम सब बच्चे मिलकर काम करेंगे।

''क्या करना है?'' दोस्तों ने तुरंत उत्सुकता से पूछा।

"पहले तो हमें यह देखना होगा कि कोटवा का कोई भी लड़का-लड़की बिना पढ़े न रहे। बाकी के दूसरे काम भी हम साथ-साथ करेंगे। यह हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि अभी कौन लड़का या लड़की विद्यालय नहीं जा रहा? कल से हमें इस काम पर जुटना है और एक सूची बना लेनी है, ऐसे बच्चों की जो पढ़ने नहीं जाते।"

कोटवा विकास खण्ड चिरईगाँव जिला वाराणसी का गाँव है। कोटवा विकास खण्ड मुख्यालय से 5 कि.मी. एवं जिला मुख्यालय से 12 कि.मी. दूर बसा है। इस गाँव की आबादी 2750 है जिसमें 600 लोग अनुसूचित जाति वर्ग से है। दूसरे समुदाय के लोग भी न्यूनाधिक रूप से बसे हैं। गाँव में आजीविका का मुख्य स्रोत दैनिक मज़दूरी है। जिसमें परिवार की रोटी भी मुश्किल से चल पाती है।

बच्चों ने अपने-अपने पड़ोस से विद्यालय एवं पढ़ाई से वंचित रह रहे बच्चों का पता जल्दी ही कर लिया। बच्चों के लिए यह मुश्किल काम नहीं था। सबसे पहले चार लड़कियों के नाम

बच्चों ने अपने मंच में बताए जिनकी सभी की उम्र लगभग 8 वर्ष थी। ये लड़कियाँ थीं नेहा पुत्री श्री अनिल, निधि पुत्री श्री अनिल, सविता पुत्री श्री हरिश्चंद्र तथा पूनम पुत्री श्री रामप्रसाद। चारों लड़कियाँ अपने घर के काम या मज़दूरी के काम में परिवार की मदद कर रहीं थीं।

बाल मंच ने निर्णय लिया कि इन चारों लड़कियों के लिए बाल अधिकार मंच में बात करेंगे ताकि वे लोग इनके अभिभावकों से बात कर इन लड़कियों को स्थानीय विद्यालय में प्रवेश दिलाएँ।

बाल अधिकार मंच तक बच्चों की बात पहुँच गई। बाल अधिकार मंच के लोगों ने अनिल शर्मा, हरिशचन्द्र एवं रामप्रसाद से बात की। तीनों लोगों (अनिल शर्मा, हरिशचन्द्र एवं रामप्रसाद) ने बताया "लड़कियाँ घर पर रहतीं हैं, घर के काम में ही मदद करती हैं, वैसे भी क्या ज़रूरत है लड़कियों को पढ़ाने की? हम लोगों की आय भी इतनी कम है कि रोटी भी मुश्किल से चलती है फिर इन लड़कियों की पढ़ाई का खर्चा कहाँ से लाएँ?"

बाल अधिकार मंच के लोगों ने तीनों से पढ़ाई के महत्व एवं शिक्षा के अधिकार पर बात की "लड़का या लड़की को पढ़ाना ज़रूरी है, नहीं तो कानूनी अपराधी भी है। आप अपने बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। सरकार ने शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं मुफ्त घोषित किया है। बच्चों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। लड़कियों को तो विशेष सुविधा भी उपलब्ध कराई है। जिसमें कॉपी-किताबें, ड्रेस, छात्रवृत्ति तथा विद्यालय आने-जाने के लिए साइकिल भी है।"

तीनों लोगों को बात भी समझ में आई। साथ ही गाँव के समुदाय का दबाव भी बना। हर कोई बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहा था। संयोग से ग्राम-प्रधान (सरपंच) शिव पूजन मिले तो उन्होंने भी यही बात बताई।

आखिर तीनों ने तय किया कि अगले दिन से वे अपनी लड़कियों को स्थानीय विद्यालय में प्रवेश दिला देंगे।

चारों लड़कियाँ आज स्थानीय विद्यालय में पढ़ रही है एवं खुश हैं। समुदाय भी पूरा साथ दे रहा है और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहा है। प्रशिक्षण ने जो ज्योति सुनील एवं वनिता के मन में जलाई उसके प्रकाश से चारों लड़कियों का जीवन रोशन हो रहा है।

***

7. पोषण, शिक्षा पूरा प्यार, हम बच्चों का है अधिकार!

इसी तरह के नारे लग रहे थे बच्चों की रैली में। सब बच्चों के हाथों में कागज़ की तख्तियाँ थीं जिनपर शिक्षा की ज़रूरत, महत्व, अधिकार, पोषण, स्वास्थ्य संबंधी नारे लिखे थे। बाल मज़दूरी के खिलाफ भी नारे लिखे थे। स्थानीय विद्यालय एवं गाँव के दूसरे बच्चे भी शामिल थे जो पंक्तिबद्ध नारे लगाते चल रहे थे।

गाँव के कुछ लोग और विद्यालय के अध्यापक भी साथ थे। रैली जिस मोहल्ले से निकल रही थी, उस मोहल्ले के सब घरों से लोग निकलकर खड़े हो रहे थे, कौतुहल से देख रहे थे, आपस में चर्चा भी कर रहे थे, "आज यह रैली किसकी है? आज तो 15 अगस्त या 26 जनवरी भी नहीं है।"

रैली क्यों निकाली जा रही है इसको सब जानना चाह रहे थे। ज़्यादातर लोग रैली के साथ ही हो लिए थे, शायद इसलिए कि देख सकें कि आखिर में क्या होता है। कुछ तो बातचीत होगी, समझ में आएगा।

रैली निकली थी, ग्राम रसूलगढ़, विकास खण्ड चिरईगाँव, जिला वाराणसी में। रसूलगढ़ विकास खण्ड मुख्यालय से 5 कि.मी. एवं जिला मुख्यालय से 8 कि.मी. दूर बसा है। 600 परिवारों का गाँव है। सभी परिवार अनुसूचित जाति के है। गाँव की आजीविका का मुख्य साधन दैनिक मज़दूरी है।

हुआ यह था कि पिछले दिनों से रसूलगढ़ का बाल अधिकार मंच यह महसूस कर रहा था कि विद्यालय सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। गाँव के पूरे बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं। सत्र की शुरूआत में नाम तो लिखवा देते हैं लेकिन थोड़े दिनों बाद विद्यालय जाना बंद कर देते हैं। इसपर भी विचार किया गया कि क्या केवल बच्चे ही दोषी हैं जो विद्यालय नहीं जाते या इसके पीछे दूसरे भी कारण हैं? निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि इस स्थिति के लिए बच्चों से विद्यालय एवं अभिभावक ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं, दोनों (विद्यालय-अभिभावक) से ही बात करनी होगी और अपेक्षित सहयोग भी करना पड़ेगा।

शुरूआत विद्यालय से ही की थी। लगातार विद्यालय जाकर अध्यापकों से विचार-विमर्श एवं सहयोग का सिलसिला शुरू हो गया था जिसमें मनोरंजनात्मक तरीके से पठन-पाठन, विद्यालय के भय मुक्त वातावरण पर चर्चा के साथ-साथ बच्चों के शारीरिक, मानसिक विकास के लिए अन्य गतिविधियाँ भी शामिल थीं। विद्यालय परिवार ने भी समुदाय के सहयोग को सकारात्मक रूप में लिया था।

दूसरी तरफ समुदाय के साथ भी मंच (बाल अधिकार मंच) लगातार सम्पर्क में था और ऐसे अभिभावकों व बच्चों को भी चिह्नित कर लिया गया था जो लगातार विद्यालय नहीं जाते थे या अभिभावकों ने रोककर अन्य कामों में लगा रखा था। ऐसे बच्चे भी चिह्नित किए गए थे जो कभी विद्यालय गए ही नहीं।

इन्हीं संदर्भो में विद्यालय परिवार एवं बाल अधिकार मंच ने रैली का आयोजन तय किया था कि गाँव समुदाय में बच्चों की शिक्षा एवं उनके अधिकारों के प्रति सकारात्मक समझ एवं वातावरण बन सके। विद्यालय शिक्षकों, विशेषकर सुश्री आरती गौतम एवं सुश्री मुन्नी देवी कुशवाह, ने अपनी महत्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका निभाई थी। इसी रैली का आयोजन था, जिसको गाँव पूरी उत्सुकता से देख रहा था और रैली से जुड़ रहा था। रैली का समापन पूरे गाँव में भ्रमण कर वापस विद्यालय प्रांगण में ही हुआ।

पूरा विद्यालय प्रांगण बच्चों व समुदाय के लोगों से भरा था। सभी उत्सुक थे कि अब क्या बात होगी? सबके बैठने के बाद बाल अधिकार मंच के लोगों ने व अध्यापकों ने एक ही अपील समुदाय से की थी, अनियमित बच्चे विद्यालय में नियमित हों तथा जो बच्चे बिल्कुल विद्यालय नहीं आते उनको विद्यालय से जोड़ा जाए।

अभिभावकों ने भी इसकी 'हाँ' की थी। यह भी तय किया गया कि समुदाय एवं विद्यालय परिवार समयबद्ध तरीके से लगातार मिलेंगे तथा एक-दूसरे का बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करेंगे।

परिणामतः 24 बच्चे विद्यालय में नियमित हो गए हैं। अभिभावक भी बच्चों को विद्यालय की पोषाक में, नहला-धुलाकर विद्यालय भेज रहे हैं। विद्यालय ने भी साप्ताहिक बाल-बैठक का आयोजन शुरू कर दिया है ताकि बच्चे अपनी भावनाओं एवं विचारों को व्यक्त कर सकें। बच्चे, समुदाय एवं विद्यालय खुश हैं।

***

8.अब टिफिन नहीं ले जाना पड़ता

रविवार का दिन था। शाम 4:00 बजे के लगभग का समय। बाल मंच से जुड़े सब बच्चे गाँव की खुली जगह पर इकट्ठे थे। सबने आज खेलने का कार्यक्रम बनाया था। सब अपनी-अपनी रुचि के अनुसार अलग-अलग छोटे-छोटे समूहों में बँटकर खेल रहे थे। हल्ला-गुल्ला हो रहा है, क्योंकि गाँव के दूसरे बच्चे भी उस जगह आकर खेलों के साथ-साथ स्वयं भी उछल-कूद कर, हल्ला करते हुए अपनी खुशी ज़ाहिर कर रहे थे।

सब मस्त एवं खुश थे। तभी गाँव में आने वाले रास्ते पर कुछ बच्चों की नज़र गई। देखा संदीप कुमार, तिलक एवं जियालाल थके-हारे-से हाथ में खाने का खाली टिफिन लटकाए गाँव की तरफ जा रहे थे। तिलक के हाथ में शायद तम्बाकू या गुटखे की पुड़िया थी।

बच्चों ने आवाज़ दी तो रुक गए और बच्चों में शामिल हो गए। कुछ बच्चों ने कहा, "चलो खेलते हैं", तो तीनों ने मना कर दिया, "नहीं यार! बहुत थक गए हैं, खेलने का मन नहीं है, अब जाकर खाना खाकर आराम करेंगे।"

तीनों बच्चे कक्षा 5 व 6 में नामांकित है। जो विद्यालय नहीं जाकर पड़ोस के ईंट–भट्टे पर दैनिक मज़दूरी पर जाते हैं। ये ग्राम भमियार, विकास खण्ड चोलापुर, जिला वाराणसी के रहने वाले हैं। भमियार, विकास खण्ड मुख्यालय चोलापुर से 7 कि.मी. तथा जिला मुख्यालय वाराणसी से 12 कि.मी. दूर बसा है। इस गाँव की आबादी 4850 है जिसमें 493 लोग अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। अन्य जातियाँ भी न्यूनाधिक रूप से गाँव में हैं। लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन दैनिक मज़दूरी है। विशेषकर ईंट भट्टों पर मज़दूरी, कृषि मज़दूरी, भवन निर्माण में मज़दूरी, इत्यादि। कई परिवार प्रदेश से बाहर गुजरात–महाराष्ट्र भी जाते हैं।

बाल मंच से जुड़े बच्चों को इन तीनों (संदीप, तिलक एवं जियालाल) का ईंट–भट्टों पर मज़दूरी करना अच्छा नहीं लग रहा था। बाल मंच की बैठक में इसपर बच्चों ने बात की और तय किया कि तीनों बच्चों को मज़दूरी से मुक्त करा पढ़ाई से जोड़ने की कार्यवाही करेंगे।

बच्चों ने अपनी बात बाल अधिकार मंच तक पहुँचा दी। बाल अधिकार मंच ने विद्यालय में सम्पर्क किया तो बच्चे अनुपस्थित मिले। अध्यापकों ने भी इस संबंध में अनभिज्ञता ज़ाहिर की। आखिर बैठक में तीनों बच्चों के अभिभावकों – सन्तलाल, पन्नालाल तथा बब्बर – को बुलाया गया तथा बात की गई। अभिभावकों ने बात को टालते हुए अपनी गरीबी का रोना भी रोया, यह भी कहा कि वे तो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे ही नहीं मानते।

आखिर मंच ने तीनों अभिभावकों से बाल मज़दूरी के नुकसानों एवं प्रभावों पर चर्चा की जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का भविष्य आदि के बारे में बताया तथा देश–प्रदेश में बाल मज़दूरी निषेध कानून का ज़िक्र भी किया जिसमें अभिभावकों एवं मज़दूरी पर रखने वाले व्यवसाय मालिकों की सज़ा का प्रावधान है।

मंच ने तीनों अभिभावकों को राय दी, "आपको तुरंत अपने बच्चों को मज़दूरी से हटाकर नियमित विद्यालय भेजना चाहिए। आप घर पर बात कर लें, बच्चों से बात करें, ज़रूरी हो तो भट्टा मालिक से भी बात करें। इसमें अगर आपको हम लोगों के सहयोग की ज़रूरत हो तो अवश्य बताएँ। चार दिन बाद गाँव में अभिभावक–शिक्षक समन्वय कार्यशाला का आयोजन होगा तब तक आप अपने निर्णय

से हमें अवगत करवा दें।"

तय समय पर अभिभावक–शिक्षक कार्यशाला का आयोजन हुआ। सभी अभिभावक एवं शिक्षक शामिल हुए। सन्तलाल, पन्नालाल, बब्बर एवं राजनाथ (बाद में पता चला कि राजनाथ का बच्चा सूरज भी ईंट–भट्टे पर मज़दूरी करता है) को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। अन्य चर्चाओं के बाद चारों अभिभावकों से उनका निर्णय जाना गया तो चारों ने कहा, "निश्चित रूप से यह हमारी भूल थी कि बच्चों को पढ़ाने की जगह उनसे मज़दूरी करवा रहे थे। केवल गरीबी का रोना रोकर बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे थे। कल से हमारे बच्चे भी मज़दूरी की जगह विद्यालय जाएँगे।"

सभी ने ताली बजाकर निर्णय का स्वागत किया। इस बात को कागज़ पर लिखकर चारों के हस्ताक्षर करवाए। शिक्षक, समुदाय एवं बच्चे खुश थे। गाँव में बाल मित्र वातावरण की शुरूआत जो हो चुकी है।

अब चारों बच्चों को टिफिन नहीं ले जाना पड़ता क्योंकि दोपहर का भोजन तो विद्यालय में ही मिल जाता है। पढ़ाई तो होती ही है और खेल के समय खेल भी पाते हैं।

***

9. पानी से बना पुल

पिछले एक सप्ताह से अलग-अलग परिवारों के तीन-चार बच्चों को उल्टियाँ हुई। एक-दो को दस्त भी लगे, लेकिन घरेलू उपचार से बच्चे ठीक हो गए। शायद बच्चों की रोग-प्रतिरोधक क्षमता ठीक थी। लेकिन विद्या ठीक नहीं हुई। वह दो दिन से उल्टी-दस्तों से ग्रस्त है। बुखार भी हो गया है, यह बच्ची पहले ही कमज़ोर है। आखिर विद्या को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची को उल्टी एवं दस्त दूषित पानी से हो रहे हैं।

''घर में किसी और को तो उल्टी एवं दस्त नहीं हैं?'' डॉक्टर ने पूछा।

''नहीं'' विद्या की माँ ने जवाब दिया।

''बेटी पानी कैसा पीते हो?'' डॉक्टर अब की बार विद्या से पूछा। उनका मानना था कि घर का पानी अगर दूषित है तो किसी अन्य सदस्य को भी समस्या होनी चाहिए जबकि अकेली विद्या को ही उल्टी या दस्त हुए थे।

विद्या ने बताया, ''गुरुजी पिछले सप्ताह से हमें पानी पीने के लिए घर नहीं आने देते। हम लोग विद्यालय में रखी टँकी का ही पानी पीते हैं जो गरम भी होता है और कभी-कभी तो बदबू भी मारता है।

तीन–चार दूसरे बच्चों को भी यह तकलीफ हुई है।''

डॉक्टर को समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसी पानी की वजह से हो रहा है। सुझाव दिया कि बच्ची को दिन में पानी पीने के लिए घर से ही बोतल भरकर दें ताकि इसे विद्यालय में दूषित पानी न पीना पड़े।

माँ–बेटी दवाई लेकर घर आ गई। विद्या की माँ सोच रही थी, "यह तो समस्या का समाधान नहीं है, गाँव के कितने अभिभावक अपने बच्चों के साथ पीने का पानी भेजेंगे?"

आखिर बाल अधिकार मंच में विद्या की माँ ने इस बात को विस्तार से रखा कि बच्चों कि विद्यालय में पीने के पानी की किस तरह की समस्या हो रही है व उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "पिछले दिनों दो बच्चे बीमार हुए और विद्या भी बीमार हुई। हमें तुरंत इस संबंध में कोई उचित कार्यवाही कर समाधान करना होगा।"

तय किया गया कि हीरावती, शकुंतला, प्रेमा, फूलचंद एव महेन्द्र अगले दिन विद्यालय जाकर इसपर चर्चा करेंगे। एक हैंडपम्प विद्यालय में लगने वाला था, उसकी क्या स्थिति है, कितने समय में लगेगा, हैंडपम्प लगने तक बच्चों को शुद्ध पेयजल मिले इसके क्या विकल्प हो – इन सब पहलुओं पर चर्चा की जाएगी।

चर्चा के दौरान प्रधानाध्यापकजी ने बताया, "एक हैंडपम्प बहुत पहले स्वीकृत हुआ था लेकिन प्रशासनिक ढिलाई से अब तक नहीं लग पाया। कई बार विभाग को भी लिखा, प्रशासनिक बैठकों में बताया लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला। प्रधान जी (सरपंच) से बार–बार कहा लेकिन उन्होंने भी असमर्थता ज़ाहिर की।"

"हम बाल अधिकार मंच की तरफ से कार्यवाही शुरू करते हैं। कितना समय लगेगा? मालूम नहीं लेकिन तब तक विद्यालय की टँकी की सफाई करवा कर रोज़ ताजा पानी भरवाएँ। अगर कोई समस्या है तो हम भी इसमें सहयोग करेंगे।" बाल अधिकार मंच प्रतिनिधि यह तय कर वापस आ गए ओर अन्य अभिभावकों को भी इस बारे में बताया।

प्रधानाध्यापकजी को भी अच्छा लगा था कि समुदाय विद्यालय के बारे में सोचने लगा है। टँकी की सफाई करवाकर रोज़ ताज़ा पानी भरने की व्यवस्था शुरू हो गई। लेकिन यह स्थाई हल नहीं था। एक प्रार्थना पत्र बाल अधिकार मंच ने खण्ड विकास अधिकारी चोलापुर के नाम, विस्तृत विवरण के साथ तैयार किया, समुदाय के हस्ताक्षर करवाए और पत्र की प्रतिलिपि भी रखी। पाँच लोगों ने विकास अधिकारी से बात कर प्रार्थना पत्र दिया। आश्वासन मिला कि हैंडपम्प लगवा देंगे।

यह किस्सा है ग्राम द्विमितवा, विकास खण्ड चोलापुर, जिला वाराणसी का। गाँव विकास खण्ड मुख्यालय से 8 कि.मी. एवं जिला मुख्यालय से 30 कि.मी. दूर बसा है। 30 परिवारों के इस गाँव की आबादी 175 है। जिसमें हरिजन समुदाय का बाहुल्य है। आजीविका का मुख्य साधन मज़दूरी है।

आश्वासन पूरा नहीं हुआ। 15 दिन बाद बाल अधिकार मंच के दो लोग दोबारा विकास अधिकारी से मिले। फिर आश्वासन के बाद वापस लौटे। तीन-चार बार ऐसा हुआ। आखिर तीन माह बाद वह दिन आया जब विद्यालय प्रांगण से बोर करने वाली मशीन की आवाज़ आई। लोग जब तक पूरा बोर खुदकर भरपूर पानी नहीं आया तब तक डटे रहे। एक दिन के अंतराल पर हैंडपम्प फिट हुआ। छोटे बच्चे शुद्ध एवं ताजा जल पीने के साथ हैंडपम्प पर झूमकर भी आनन्द लेने लगे।

हैडपंप लगने से न केवल बच्चों को जल-जनित बीमारियों से निजात मिली बल्कि शिक्षक खुद भी राहत महसूस करने लगे। आखिर उन्हें भी तो इसी पानी का उपयोग करना पड़ता था। वे भी तो दिनभर की ज़रूरत का पानी बोतल में भरकर नहीं ला सकते थे। ऐसे में बाल अधिकार मंच का यह प्रयास उन्हें समुदाय के प्रति उनका नज़रिया बदलने और समुदाय के करीब लाने में कामयाब हुआ। पानी से जैसे उनके और समुदाय के बीच पुल बन गया।

***

10. अलख जग उठी

गाँव में जब से बाल मंच एवं बाल अधिकार मंच का गठन हुआ है और दोनों ही मंचों के सदस्य क्षमतावर्द्धन प्रशिक्षण कार्यशाला से लौटे हैं तभी से गाँव का वातावरण बदला-बदला-सा नज़र आ रहा है। बात-चीत के विषय बदल गए हैं। बच्चे खेलने व हल्ला-गुल्ला करने के साथ-साथ विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों के बारे में व काम पर जाने वाले बच्चों के बारे में विचार-विमर्श भी करने लग गए हैं। हर बच्चा दूसरे बच्चे को कहता है, "अमुक बच्चा पढ़ने के बजाय भट्टे पर काम कर रहा है, उसे ईंट-भट्टे पर काम से कैसे रोकें और विद्यालय से जोड़ें?" विद्यालय व्यवस्था पर भी टिप्पणी करते देखे जा सकते हैं यथा मिड-डे मील, शिक्षकों का डराना, धमकाना, इत्यादि।

ऐसी ही स्थिति बड़ों (बाल अधिकार मंच) की भी है। काम नहीं होने, विकास न होने और प्रधान (सरपंच) द्वारा नहीं सुनने का रोना रोने तथा गरीबी को भाग्य मानने के स्थान पर गाँव का विकास, लोगों को काम, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, उनके स्वास्थ्य के साथ विद्यालय व्यवस्था, आँगनवाड़ी का सुचारू संचालन एवं टीकाकरण, इत्यादि, की बातें करने लगे हैं।

यह गाँव है रौना खुर्द। रौना खुर्द विकास खण्ड चोलापुर, जिला (जनपद) वाराणसी का गाँव है जो विकास खण्ड मुख्यालय चोलापुर से 5 कि.मी. एवं जिला मुख्यालय वाराणसी से 15 कि.मी. दूर बसा है। गाँव में चमार (अनुसूचित जनजाति) समुदाय की 750 की आबादी है। लोगों का आजीविका हेतु मुख्य पेशा मज़दूरी है जिसमें ईंट-भट्टों पर मजदूरी, वाराणसी में भवन-मज़दूरी एवं अन्य मज़दूरी भी शामिल है।

इसी गाँव से कुछ बच्चे ईंट-भट्टों पर मजदूरी भी करते हैं। ईंट-भट्टों पर काम करने वाले बच्चों को चिह्नित किया बाल मंच ने। ये बच्चे थे बृजेश, राजेश कुमार, रामबली, रोशन, विजय एवं राजेश। बाल मंच की बैठक में चर्चा कर तय किया कि यह सूची बाल अधिकार मंच को दें ताकि वे इनके अभिभावकों से बात कर मजदूरी पर जाने से रोकें एवं विद्यालय से जोड़ें।

बाल मंच ने सूची बनाकर बाल अधिकार मंच के सदस्य, मनोज कुमार एवं छोटे लाल, को दी तथा कहा, "इन बच्चों के अभिभावकों से आप बात करें। हम भी इन बच्चों से बात करते हैं, इन्हें विद्यालय से जोड़ना है।"

बाल अधिकार मंच को जैसे व्यवस्थित काम करने का सूत्र मिल गया था। कुछ लोगों ने अभिभावकों से बात करने की ज़िम्मेदारी ली, और कुछ ने विद्यालय से सम्पर्क कर शिक्षकों से बात करने की ताकि पूरे समुदाय एवं शिक्षकों की एक सामूहिक बैठक आयोजित करें और ईंट-भट्टों पर मज़दूरी कर रहे बच्चों के अलावा विद्यालय में अनियमित रहने वाले बच्चों एवं विद्यालय व्यवस्था पर भी एक साथ बात हो सके।

सबने अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी निभाई। शिक्षक-समुदाय की बैठक तय हुई दिनाँक 8.3.2010 को शाम 4:30 बजे छोटे लाल के दरवाज़े पर। विद्यालय से प्रधानाध्यापकजी श्री बसन्त कुमार यादव एवं सहायक अध्यापक श्री अमरनाथ ने शिक्षक-समुदाय बैठक में शामिल होना स्वीकार किया। गाँव में बैठक की सूचना घर-घर जाकर बच्चों ने दी तथा सुनिश्चित किया कि हर परिवार से एक सदस्य बैठक में अवश्य भाग लें।

बैठक ठीक 4:30 बजे शुरू हुई। दोनों शिक्षक तय समय पर बैठक स्थल पहुँचे। तैयारी पहले से थी। गाँव के लोग भी पहुँच चुके थे। बैठक में सबका स्वागत करते हुए छोटेलाल जी ने बताया, ''आज हम प्रमुख रूप से विद्यालय जाने वाले बच्चों, अनियमित रहने वाले बच्चों तथा विद्यालय से वंचित बच्चों के साथ-साथ विद्यालय सुचारू रूप से चले, बच्चों की नियमित पढ़ाई भयमुक्त वातावरण में अच्छी हो इस पर बात करेंगे। आप अपने सुझाव या विद्यालय से कोई शिकायत हो तो अवश्य रखें।''

विद्यालय से आए शिक्षकों ने भी लोगों का धन्यवाद किया क्योंकि आज पहली बार समुदाय विद्यालय से जुड़कर बेहतर पढ़ाई और उसमें सहयोग की बात कर रहा था। उन्होंने आश्वस्त किया कि विद्यालय परिवार भी कंधे से कंधा मिलाकर इस अच्छे काम में सहयोग करेगा।

तयशुदा सब मुद्दों पर बैठक में विचार-विमर्श हुआ। आखिर में छोटेलाल जी ने ईंट-भट्टों पर काम करनेवाले 6 बच्चों के मुद्दे को रखा एवं कहा, "इन बच्चों को शिक्षा से वंचित रखना इनके अधिकारों का हनन है। सभी इसपर अपनी बात कहें, विशेषकर इन बच्चों के अभिभावकों से विशेष अनुरोध है।"

थोड़ी देर बैठक में सन्नाटा एवं चुप्पी का वातावरण बना। छोटेलाल जी एवं शिक्षकों की नज़र समुदाय पर थी। जालंधर अपनी जगह पर खड़े हुए एवं कहा, ''यह गलती मेरे से हो रही है, मेरा बच्चा ईंट-भट्टे पर मज़दूरी करता है। पूरे समुदाय के सामने मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा बच्चा कल से भट्टे पर न जाकर विद्यालय जाएगा।''

तालियों की गड़गड़ाहट से मोहल्ला गूँज उठा। फिर क्या था, गीता देवी, किस्मत देवी, प्रभावती देवी, बाबूलाल एवं चनरा देवी ने भी एक-एक कर इसी बात को दोहराया। एक शपथ-पत्र जैसा कागज़ तैयार हुआ। सबसे पहले मज़दूरी करने वाले बच्चों के उक्त अभिभावकों ने आगे होकर हस्ताक्षर किए, साथ ही दूसरे लोगों ने भी हस्ताक्षर किए ताकि भविष्य में कोई बच्चा ईंट-भट्टे पर मज़दूर न बने। गाँव में बाल अधिकारों की सुनिश्चितता की अलख जग उठी थी।

***

11. निःशुल्क शिक्षा का अधिकार

आज मुकेश विद्यालय जाने में आनाकानी कर रहा था। पिताजी ने पूछा, "बेटे! विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो?"

मुकेश ने बताया, "विद्यालय में परीक्षा शुल्क के 10 रु. मँगवाए हैं और मम्मी मुझे नहीं दे रही।"

"लेकिन बेटा, हमारी जानकारी के मुताबिक विद्यालय में किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है।" पिताजी ने कहा।

मगर मुकेश रुपए लेकर जाने की ज़िद कर रहा था, शायद उसे विद्यालय में जो शुल्क लाने का दबाव पड़ रहा था, उस से वह भयभीत था। बच्चे की ज़िद एवं डर को देखते हुए उसे रुपए दे दिए पर साथ ही यह तय भी कर लिया था कि इस संबंध में बाल अधिकार मंच में बात करेंगे।

बच्चों से परीक्षा शुल्क लिया जा रहा था प्राथमिक विद्यालय द्विमितवा में। ग्राम द्विमितवा विकास खण्ड चोलापुर, जिला (जनपद) वाराणसी का गाँव है। द्विमितवा में ब्राह्मण, यादव एवं हरिजन समुदाय निवास करते हैं और इसकी आबादी, लगभग 700 लोग है। इसस गाँव के 30 परिवार (175 लोग) अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। लागों का मुख्य व्यवसाय दैनिक मज़दूरी है।

कुछ अभिभावकों ने बच्चों को शुल्क जमा कराने के लिए पैसा दे दिया था, कुछ ने नहीं दिया था। विद्यालय, जिन बच्चों ने शुल्क नहीं दिया था, उन पर दवाब बना रहा था। ऐसे में बच्चे अभिभावकों पर दवाब बना रहे थे। इसी बीच बाल अधिकार मंच द्विमितवा की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और तय किया कि चार लोग विद्यालय जाकर इसपर बात करेंगे।

जब चारों लोग विद्यालय पहुँचे तो सहायक अध्यापकजी से बात हुई। सहायक अध्यापक जी से पूछा गया, "शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है तो 10 रु. का शुल्क किस बात का लिया जा रहा है?"

अध्यापक जी ने बताया, ''हमें ब्लाक रिसोर्स सेंटर से आदेश मिले हैं।''

''ठीक है, आप हमें उस आदेश की एक प्रतिलिपि दे दीजिए। हम सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से बात करेंगे।'' लोगों ने कहा।

जब यह बात हो रही थी तो प्रधानाध्यापक जी भी बातचीत में शामिल हो गए। सारे विचार-विमर्श के बाद प्रधानाध्यापक जी ने कहा, ''आप अपना पैसा ले जाइए, बाकी लोग जाने और हम जाने, आप इस विवाद में क्यों पड़ते हैं?''

चारों लोगों को पैसा मिल गया था। पैसा मिलने के बाद लोगों ने कहा, ''यह गलत तरह से लिया गया शुल्क तो आपको बाकी लोगों को भी लौटाना पड़ेगा।''

लोग वापस आ गए थे और तय किया था कि विद्यालय की परीक्षाएँ समाप्त होते ही दोबारा विद्यालय जाकर बात करेंगे। वार्षिक परीक्षाओं से ठीक पहले इस विद्यालय प्रशासन के साथ उलझना उन्हें ठीक नहीं लगा।

परीक्षाएँ खत्म होते ही बाल अधिकार मंच के लोग वापस विद्यालय पहुँचे। जिन बच्चों का शुल्क अभी तक वापस नहीं मिला था, उसपर चर्चा हुई। प्रधानाध्यापक जी ने बिना किसी सवाल-जवाब के सभी बच्चों का शुल्क लौटा दिया। जानकारी के अभाव में या जानबूझकर जो शुल्क लेने की गलती हुई थी, उसको स्वीकार करते हुए समुदाय से क्षमा चाही साथ ही यह निवेदन भी किया कि इस मुद्दे को इसी स्तर पर समाप्त कर दें, आगे न ले जावें। शायद इस बीच प्रधानाध्यापक जी ने जो जानकारी ली होगी उससे उनको अपनी गलती का एहसास हो गया था। फिर गाँव में बाल अधिकार मंच की सक्रियता का नमूना तो वे देख ही चुके थे। ऐसे में यह मानना कि ये लोग मुद्दे को आगे नहीं लेकर जाएँगे प्रधानाध्यापकजी की भूल होती।

***

12. जब जागो तब ही सवेरा

आशा तथा अनिता दोनों सहेलियाँ हैं। निकटतम पड़ौसी भी हैं। आशा की गोद में 6–7 माह की बच्ची है जो माँ का दूध पीती है तथा अनिता 3–4 माह की गर्भवती है।

पिछले कुछ समय से गाँव में बाल अधिकारों के संरक्षण का माहौल है। गाँव में बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एवं बच्चियों का एक बाल मंच है जो बच्चों से, या यों कहना चाहिए खुद से, जुड़े मुद्दों पर चर्चाएँ करता है। पढ़ाई-लिखाई, खेलकूद, विद्यालय से जुड़े हर मुद्दों या विषयों पर खुद की भागीदारी, इत्यादि, इन बच्चों की चर्चा का विषय होते हैं।

इसी तरह बड़े लोगों का भी एक मंच है, बाल अधिकार मंच, जहाँ बच्चों के अधिकारों की सुनिश्चितता की बात होती है। बच्चे को उसका अधिकार मिलना चाहिए। बच्चे से तात्पर्य है चाहे वह गर्भ में पल रहा हो, गोदी में खेलते हुए माँ का दूध पी रहा हो, आँगनवाड़ी या विद्यालय से जुड़ा हो।

आशा एवं अनिता इसी मंच की सदस्य हैं। इसी मंच के माध्यम से वे यह जान पाईं हैं कि धात्री एवं गर्भवती माता को पूरक आहार की आवश्यकता होती है जो उसे मिलना चाहिए। घर के अलावा गाँव के आँगनवाड़ी केन्द्र से भी ऐसी माताओं को पूरक आहार नियमित दिया जाता है।

आशा एवं अनिता गाँव कटारी, विकास खण्ड चोलापुर, जिला (जनपद) वाराणसी, उत्तर प्रदेश, की रहने वाली है। जिसकी आबादी लगभग 20 हज़ार है। कटारी में क्षत्रिय, मौर्य, कन्नोजिया, विश्वकर्मा, मुस्लिम तथा हरिजन समुदाय के लोग रहते हैं। गाँव में विभिन्न प्रकार का व्यवसाय कर लोग अपनी आजीविका चलाते हैं लेकिन ज़्यादातर आबादी, विशेषकर हरिजन समुदाय, दैनिक मज़दूरी पर निर्भर है। आशा एवं अनिता इसी मज़दूरी पेशा हरिजन समुदाय से हैं।

पाँच महिलाएँ स्थानीय आँगनवाड़ी में पूरक आहार के लिए पहुँचीं थीं। इनमें आशा, अनिता एवं मुन्नी देवी शामिल थीं। पाँचों महिलाओं को आते देख कार्यकर्त्ता आशंकित हुई। ''इस तरह से अब

से पहले कभी हरिजन महिलाएँ आँगनवाड़ी में नहीं आई थीं। क्यों आ रहीं हैं? क्या चाहतीं हैं? क्या बातें करेंगी?'' शायद इसी तरह के प्रश्न कार्यकर्त्ता के मन में आ-जा रहे थे।

कार्यकर्त्ता जातिगत भेदभाव की मानसिकता से ग्रस्त थी। जैसे ही ये महिलाएँ मिलीं तो उसने रूखे स्वर में पूछा, ''बोलिए, क्या काम है?''

''मोहल्ले की गर्भवती एवं धात्री महिलाओं हेतु पूरक आहार जो आँगनवाड़ी से देय है, उसके लिए आई हैं, दो महिलाएँ आशा एवं अनिता तो साथ ही हैं।'' महिलाओं में से एक ने कहा।

''यहाँ कोई पूरक आहार नहीं मिलता'' आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता ने इसी तरह रूखा जवाब दिया था। ''आपको ऐसी महिलाओं को पूरक आहार देना चाहिए क्योंकि वह सरकार से इनके लिए इस केन्द्र में आता है। अगर आप इन महिलाओं को पूरक आहार नियमित नहीं देंगी तो हम बाल विकास परियोजना अधिकारी से बात करेंगी'' महिलाओं ने कहा।

''जाओ! आपको जिससे बात करनी है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।'' कार्यकर्त्ता का जवाब था।

''नहीं! केवल बात नहीं करेंगे, अगर हमें बाल विकास परियोजना अधिकारी के पास जाना ही पड़ा तो पूरी कार्यवाही लिखित में ही करेंगे ताकि ध्यान नहीं देने पर आगे भी कार्यवाही कर सकें।'' मुन्नी देवी ने कहा।

महिलाएँ इस प्रकार पूरी जानकारी के साथ बातचीत कर जवाब देंगी, यह अपेक्षा कार्यकर्त्ता को बिलकुल भी नहीं थी क्योंकि इससे पहले कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। आँगनवाड़ी स्वयं की मर्ज़ी से संचालित होती थी।

महिलाओं का जवाब सुनकर कार्यकर्त्ता को खटका हुआ। शायद मेरी मर्ज़ी अब नहीं चल पाएगी। अच्छा होगा कि इन लोगों के हक का पूरक आहार दे दिया जाए।

दोनों महिलाओं को सप्ताह का पूरक आहार मिल गया था। साथ अन्य महिलाओं के लिए भी (जो पूरक पोषाहार की पात्र हैं) कह दिया था कि वे भी आकर अपना पूरक आहार नियमित ले जाएँ।

पूरक आहार नियमित हो गया था। महिलाओं को एक अनोखे आत्मबल का अनुभव हुआ था। जब जागो तक ही सवेरा की कहावत चरितार्थ होती दिखाई दे रही थी।

***

13. खेल हो, खिलवाड़ न हो

आज लव-कुशजी (प्रक्रिया सहजकर्त्ता) विद्यालय की छुट्टी होने के समय गाँव में पहुँचे थे। वे सीधे विद्यालय ही आ गए थे ताकि बाल मंच के बच्चों के साथ छुट्टी होते ही जुड़ जाएँ। बच्चों ने आज खेल-कूद का कार्यक्रम बनाया था।

विद्यालय की छुट्टी हो चुकी थी। जैसे ही लव-कुशजी को देखा, बच्चों ने घेर लिया एवं खुश हुए।

''आज हमारा कबड्डी खेलने का कार्यक्रम है'' बच्चों ने कहा।

''चलो हम भी आपके खेल कार्यक्रम में शामिल हो जाते हैं'' लव-कुशजी ने कहा।

''आप गाँव में कौन-कौन से खेल खेलते हो? मेरा मतलब सभी बच्चों से है, चाहे वे विद्यालय या बाल मंच से जुड़े हों या न जुड़े हों।''

बच्चों ने कई प्रकार के खेल गिनाए।

''ताश भी खेलते हैं'' इसी बीच एक बच्चे ने कहा।

यह लव-कुशजी के लिए खटका लगने वाली बात थी।

यह बात है गाँव लटौरी की। लटौनी विकास खण्ड चोलापुर, जिला (जनपद) वाराणसी का गाँव हैं। यह गाँव जिला मुख्यालय से 11 कि. मी. व विकास खण्ड मुख्यालय से 13 कि. मी. की दूरी पर स्थित है। इस गाँव की ज़्यादातर आबादी की आजीविका का मुख्य साधन कृषि मजदूरी एवं दैनिक मज़दूरी है।

''कैसे खेलते हैं? लव-कुशजी ने इसी सूत्र को पकड़कर आगे बात बढ़ाई।

"पूरा तो हम नहीं जानते लेकिन चार बच्चे मिलकर खेलते हैं, सभी लोग पैसा लगाते हैं। पूरा पैसा जीतने वाले को मिलता है, हारने वाले निराश हो जाते हैं।''

''यह तो जुआ है। बुरी आदत है, पैसे की बरबादी है। बच्चों के लिए तो और भी बुरी बात है, उन्हें तो पढ़ाई व अन्य खेलों पर ध्यान देना चाहिए।'' लव कुशजी ने बच्चों को समझाया। उन्होंने फिर पूछा, "कौन-कौन खेलता है?''

"संदीप, दीपू, चन्दन, मिथुन, अभिषेक, मंगला, मुकेश एवं रमाकान्त को तो हम जानते हैं और भी खेलते होंगे।'' बच्चों ने रटी हुई सूची की तरह बताया।

''कुछ बच्चे काँच की गोलियों का खेल भी ऐसे ही पैसे लगाकर खेलते हैं'' गीता बोली।

''पैसे कहाँ से आता है?''

''ये बच्चे कुछ भी बहाना बनाकर माँ-बाप से ले लेते हैं।'' बच्चे बताते जा रहे थे। बच्चों में पनपी बुराई की परतें सहज रूप से उघड़ रहीं थीं।

''चलो आप लोग अपना खेल खेलो, आगे की बात खेल के बाद बैठक में करेंगे।''

बच्चों ने अपना खेल शुरू किया और खेल के आनन्द में डूब गए। लव-कुशजी दूर बैठे बच्चों में पनपी बुराई पर विचार कर रहे थे। खेल खत्म हुआ। बाल मंच की बैठक शुरू हुई। बच्चों का इस बुराई में लिप्त होना ही आज की बैठक का विषय बन गया था।

'जुए' जैसे खेल से बच्चे कैसे बिगड़ते हैं, इसपर चर्चा हुई। बच्चों ने बताया कि ये बच्चे (जुआ खेलने वाले) झूठ बोलकर घर से पैसे लाते हैं। किसी कारण से घरवाले पैसे नहीं देते तो घर से चोरी भी करते हैं। झूठ बोलना एवं चोरी

करना तो मूल रूप से ही गलत है। जो घर, परिवार, गाँव एवं समाज का माहौल बिगाड़ती है। बच्चे आपस में लड़ाई-झगड़ा भी करते हैं।

''आप लोगों की क्या राय है?'' लव-कुशजी ने बच्चों से ही पूछा।

''यह बुराई खत्म होनी चाहिए'' बच्चे एक स्वर में बोले।

''क्या करें? कैसे करें?''

''हमें इन बच्चों से और इनके घर वालों से बात करनी चाहिए'' सोनू (कल्पित नाम) ने बताया।

''सबसे पहले हमें इस बात को बाल अधिकार मंच को बताना चाहिए, वे लोग ही इनके माँ-बाप से बात करेंगे, हम केवल इन बच्चों से बात कर सकते हैं'' विश्वेश (कल्पित नाम) बोला।

जब बाल अधिकार मंच में बात पहुँची तो सबसे बात कर गाँव की बैठक आयोजित की गई। संबंधित बच्चे (ताश व गोली खेलने वाले) एवं उनके अभिभावक भी शामिल थे।

पूरा विचार-विमर्श हुआ। कैलाश राम, हंसराज, सुदर्शन, बाबूलाल, बचाऊ एवं सुवाराम (बच्चों के अभिभावक) ने कहा ''हम तो काम पर चले जाते हैं पीछे से बच्चे मन की करते हैं।''

जब बच्चों से बात की तो सीधे-सीधे 'हाँ' की (बाल मंच से सदस्यों ने इनसे पहले से विस्तार से बात कर ली थी) तथा सबके सामने भविष्य में इस प्रकार जुआ नहीं खेलने का वादा किया।

लटौरी गाँव के सब बच्चे अब जुए से दूर हैं। इन्हीं बच्चों ने अब अपना एक बाल-कोष शुरू किया है जिसमें 2 रु. प्रतिमाह प्रति बच्चा जमाकर खेलकूद का सामान खरीदने पर खर्च करते हैं। अभिभावक भी चौकन्ने रहते हैं। सभी को समझ आ गया है कि जुआ खेल नहीं जीवन के साथ खिलवाड़ है एवं बच्चों को इससे दूर रखना चाहिए।

***

14.समृद्धि की कुंजी

बाल अधिकार मंच की बैठक शुरू होने में देर थी। हीरा राजभर, संतोष एवं बचाऊ हरिजन थोड़ा जल्दी आ गए थे। आपस में बातचीत कर रहे थे। बाल अधिकार मंच के एक सक्रिय सदस्य हंसराज एक कार्यशाला से लौटे थे जिसमें विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक मदद दिए जाने की जानकारियाँ दीं गईं थीं।

बच्चों की परवरिश, पढ़ाई-लिखाई, शादी-ब्याह, इत्यादि, की बात चल रही थी। हीरा राजभर, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों में चयनित एवं पंजीकृत हैं, वे अपने घर की आर्थिक समस्याओं का ज़िक्र कर रहे थे। अपनी बेटी की परवरिश, पढ़ाई-लिखाई एवं शादी की चिंता थी। संतोष एवं बचाऊ राम हरिजन के भी इसी श्रेणी के परिवार हैं। लगभग एक जैसी चिंताएँ ही हैं तीनों की।

हंसराज अपनी बात कहते तब तक दूसरे लोग भी जुट गए थे, इसलिए हंसराज ने कहा, ''चलो अब सबको आ जाने दो, आज इस तरह की जानकारी दूँगा कि आप तीनों तो ख़ुश हो ही जाओगे, साथ ही दूसरे लोगों को भी फायदा मिलेगा।''

ये लोग चिरईगाँव, विकास खण्ड चिरईगाँव, जिला (जनपद) वाराणसी के रहने वाले हैं। परियोजना क्षेत्र कार्यरत बस्ती ब्लॉक से 3 कि. मी. की दूरी पर पड़ता है। गाँव से जिला मुख्यालय की दूरी 10 कि.मी. है। गाँव में 45 परिवारों की जनसंख्या 350 और मुख्य व्यवसाय कृषि व मज़दूरी है।

बैठक शुरू हुई। हंसराज ने सबको संबोधित करते हुए कहा, ''हम सबने बच्चों के मुद्दों की समझ, उनके अधिकारों की सुनिश्चितता (यानि की बच्चों के जो अधिकार हैं वे उनको मिले) के लिए ही इस मंच (बाल अधिकार मंच) का गठन किया है। बच्ची भी हमारे परिवार का अहम हिस्सा है उसके भी अधिकार हैं। सामान्यतया, हम बच्ची को पराया धन समझकर उसके साथ ऐसा व्यवहार करते

हैं जिससे उसके पालन–पोषण, पढ़ाई–लिखाई में कहीं–न–कहीं उससे भेद हो जाता है और बच्ची बोझ महसूस होती है। विशेषकर उसके शादी के खर्च की वजह से हम चिंतित रहते हैं।''

हीरा राजभर, संतोष व बचाऊ हरिजन हंसराज की बात को ध्यान से सुन रहे थे। उनको लग रहा था कि जैसा हंसराज बोल रहे हैं वैसा ही चिंतन तीनों का भी है। पैसे वाले के लिए तो शायद ऐसा न हो लेकिन गरीब के लिए तो बच्ची की शादी बोझ ही है।

हंसराज ने आगे कहा, ''जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनकी लड़कियों के लिए सरकार ने महामाया बालिका समृद्धि योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत राज्य सरकार 2 साल तक की उम्र की लड़की के नाम से बैंक में 20,000 रु. सावधि जमा खाते में जमा कराती है तथा जब वह लड़की 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेती है तब उसे बैंक से 1,20,000 रु. मिलते हैं।''

''इसके लिए आपको बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, कुटुम्ब रजिस्टर की फोटोकॉपी, बी.पी.एल. सूची एवं कार्ड की प्रतिलिपी और एक शपथ पत्र देना होगा। इसमें ग्राम पंचायत एवं स्थानीय आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता आपकी मदद करते हैं। सारे दस्तावेज़ आँगनवाड़ी/आशा के माध्यम से बाल विकास परियोजना अधिकारी के यहाँ जमा होते हैं।''

तीनों अभिभावकों में जब योजना के बारे में सुना तो वे बहुत खुश हुए। दूसरे ही दिन से तीनों ने इस संबंध में कार्यवाही शुरू कर दी। दो सप्ताह में सब दस्तावेज़ तैयार होकर आँगनवाड़ी के माध्यम से बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय पहुँचा दिए गए।

तीनों को जब अपनी–अपनी बच्चियों के नाम सावधि जमा की रसीद बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जानकारी की बदौलत उन्हें समृद्धि की कुंजी जो मिल गई थी।

***

15. मिलकर काम करने पर ही ...

''मिलकर काम करने पर ही समस्या का समाधान किया जा सकता है। अपने अधिकार प्राप्त किए जा सकते हैं।'' यही शब्द रह-रहकर पार्वती देवी एवं मीरा देवी के कानों में जैसे गूँज रहे थे। आज जब दोनों हैंडपम्प पर मिली तो बात करने लगीं, "गाँव की बड़ी बैठक में भी यही बात हुई थी तथा कल जब बाल अधिकार मंच की बैठक हुई तो उसमें भी यही चर्चा हुई कि अगर हमारी बस्ती की पात्र गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को आँगनवाड़ी की सेवाएँ एवं पूरक आहार नहीं मिल रहा तो ऐसी महिलाओं को मिलकर आँगनवाड़ी केन्द्र पर जाना चाहिए तथा आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता से बात करनी चाहिये। हो सकता है हमारे आँगनवाड़ी केन्द्र पर न जाने की वजह से ही हम आँगनवाड़ी की सेवाओं एवं पूरक आहार से वंचित हो रहीं हों। यह भी हो सकता है कि आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता मना करे, ऐसी स्थिति में हमें आगे विभाग से बात करनी पड़ेगी। केवल बैठक में बात करने एवं सुनने से कुछ नहीं होगा।''

दोनों ने तय किया कि ऐसी महिलाओं को साथ लेकर शनिवार को आँगनवाड़ी केन्द्र जाना है।

ये महिलाएँ हैं गाँव चोलापुर की। चोलापुर विकास खण्ड चोलापुर एवं जिला (जनपद) वाराणसी, उत्तर प्रदेश, का गाँव हैं। गाँव में अधिकतर हरिजन समुदाय के लोग रहते हैं। कुल परिवार 36 व जनसंख्या 610 है। दैनिक मज़दूरी ही आजीविका का साधन है।

पार्वती एवं मीरा ने ऐसी महिलाओं से बात की और शनिवार को सबको साथ लेकर आँगनवाड़ी की तरफ चल पड़ीं। जैसे ही ये महिलाएँ आँगनवाड़ी पहुँचीं तो आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता ने चौकस होकर पूछा, ''क्या काम है?''

''सब महिलाएँ बस्ती की धात्री एवं गर्भवती महिलाएँ हैं जो अपने पूरक आहार एवं अन्य सेवाओं की जानकारी एवं उनको प्राप्त करने के लिए आईं हैं'' पार्वती ने कहा।

''आप कोई बड़ी अफसर हैं जो केन्द्र की जाँच करने आईं हैं? खाने के लिए थोड़ा सत्तू चाहिए

तो ले लो और जाओ।'' आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता ने चिढ़कर कहा।

मीरा देवी को सहन नहीं हुआ उसने कहा, ''हम भीख माँगने नहीं आए हैं। हमारा पूरक आहार हमें मिले, यह हमारा हक है। हमारा एवं बच्चों का जो पूरक आहार आता है वो हमें लेना है।''

''अभी पूरक आहार नहीं है अगले हफ्ते ले जाना'' कार्यकर्त्ता ने कहा।

महिलाएँ वापस लौट गईं। अगले हफ्ते फिर आईं। लेकिन इस बार तो और भी रूखा जवाब मिला, "आपका पूरकपोषाहार नहीं आता है।"

''कोई बात नहीं, आप कागज़ पर लिखकर दे दीजिए कि हमारा पूरक आहार इस आँगनवाड़ी केन्द्र पर नहीं आता है।''

महिलाएँ हर जवाब के लिए पूरी तैयारी के साथ आईं थीं। कार्यकर्त्ता को समझ आ गया कि अब यह बहाना नहीं चलेगा। झूठ बोला जा सकता है लिखकर नहीं दिया जा सकता। पूरक आहार का वितरण करना ही उचित समझकर वितरण शुरू कर दिया। पर मानसिकता अब भी वही रही। वितरण ऐसे किया जैसे प्रसाद बाँटा जा रहा हो। पार्वती देवी ने टोका और कहा, ''बहिन जी, ऐसे नहीं इनको 960 ग्राम प्रति महिला मिलना है, पूरा दीजिए। आपको भी पता होना चाहिए कि धात्री एवं गर्भवती महिला को 960 ग्राम तथा बच्चे को 480 ग्राम पूरक आहार दिया जाता है। अगर नहीं मालूम तो आज से पूरक आहार इसी मात्रा में दें।"

आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता निःशब्द थी। महिलाओं की जागरूकता और संगठन ने उसे सही तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी निभाने के लिए मजबूर कर दिया। केन्द्र संचालन सुचारू रूप से होने लगा।

***

16. हौसला बढ़ रहा था ...

"यहाँ न तो आँगनवाड़ी केन्द्र है, न कोई सुविधा। सुना है हमारे गाँव एवं पड़ौसी गाँव का आँगनवाड़ी केन्द्र एक ही है जो वहाँ के विद्यालय भवन में चलता है।"

यही कहा था लोगों ने जब संस्था कार्यकर्त्ता ने कहा था कि 18 वर्ष का होने तक बच्चे के हर अधिकार की रक्षा करना अभिभावकों का दायित्व है और इसी संदर्भ में आँगनवाड़ी का ज़िक्र आया था, जहाँ धात्री एवं गर्भवती महिलाओं को पूरक आहार तथा आवश्यक टीकाकरण की व्यवस्था होती है। कार्यकर्त्ता ने समझाया, "गाँव में नया आँगनवाड़ी केन्द्र खुले यह अच्छी बात है लेकिन तब तक तो हमें जहाँ हमारा आँगनवाड़ी केन्द्र है वहीं से सेवाएँ हकपूर्वक लेनी होंगी।"

यह बातचीत हुई थी ग्राम मुरेरी के बाल अधिकार मंच की बैठक में। ग्राम मुरेरी, विकास खण्ड, चोलापुर, जिला (जनपद) वाराणसी, उत्तर प्रदेश का गाँव है। जो विकास खण्ड एवं जिला मुख्यालय से 40 कि.मी. दूर है। गाँव में सभी समुदाय के लोग हैं। 40 परिवार हरिजनों के हैं जिनकी आबादी 400 है। इनका मुख्य व्यवसाय दैनिक मज़दूरी एवं कृषि मज़दूरी है।

''हम मुरेरी से आईं हैं और हम सब पूरक आहार की पात्र हैं। अपना पूरक आहार लेने आई है।''

पहली बार शनिवार को जब 8 पात्र महिलाएँ (धात्री एवं गर्भवती) आँगनवाड़ी केन्द्र पहुँची और बात की तो कार्यकर्त्ता, राजकुमारी, समझ ही नहीं पाई कि क्या जवाब दें, तुरंत टालने की ग़रज़ से कह दिया, "पोषाहार खत्म हो गया है, अगले हफ्ते आएगा तो दिया जाएगा।"

यह शायद इस लिए कह दिया गया कि अब तक तो कभी ऐसे महिलाएँ आईं नहीं, अभी टल गईं तो दोबारा नहीं आएँगी। लेकिन यह क्या? अगले शनिवार को वे ही महिलाएँ फिर आ गईं। फिर टाल दिया। कहा कि घर पर नहीं बाँटती है। तीसरे शनिवार को शायद आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता का सब्र का बाँध टूट गया और कह ही दिया, ''क्यों आप लोग परेशान करती हो, हम तुम्हें पोषाहार कहाँ से दें? जो पोषाहार हमें मिलता है वह खर्च करने पर मिलता है और वह खर्च इसी पोषाहार से निकलता है।''

महिलाएँ वापस तो आईं लेकिन पोषाहार लाने में आफिस में खर्च होता है, चर्चा का विषय बन गया था। तय किया कि अगर अगले शनिवार को भी पोषाहार के लिए मना करेगी तो उससे लिखित में लेंगी। इधर लोग इसपर चर्चा कर रहे थे उधर आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता को खटका लगा, उसने यह बात शायद अपने कार्यालय तक भी पहुँचा दी थी।

चौथी बार शनिवार को महिलाएँ फिर आँगनवाड़ी केन्द्र पर मौजूद थी। सीधी बात की, "या तो आप हमारा पोषाहार दीजिए या फिर यही बात जो आप हमें कह रहीं थीं कि पोषाहार लाने के लिए आफिस में खर्चा करना पड़ता है जो पोषाहार से पूरा करते हैं, लिखित में दीजिए।"

आखिर इन महिलाओं को पोषाहार मिलना शुरू हो गया लेकिन मात्रा पूरी नहीं थी, पोषाहार लेकर आते समय बातचीत की, "मात्रा पूरी नहीं लग रही। अगले सप्ताह तोलकर लेंगे। प्रति सप्ताह वयस्क (धात्री एवं गर्भावती) को 960 ग्राम एवं बच्चे को 480 ग्राम पोषाहार मिलना चाहिए।"

अगले सप्ताह पूरक पोषाहार की मात्रा पर बहस हो गई। महिलाएँ पूरे 960 ग्राम पूरक पोषाहार की बात कर रहीं थीं और पूरा तोलकर लेकर आईं। आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता या विभाग की मनमर्जी समाप्त हो रही थी और महिलाओं का हौसला बढ़ रहा था। गाँव में आँगनवाड़ी केन्द्र खोलने के लिए अर्ज़ी भी इस दौरान लगा दी गई थी।

***

17. योजना यूँ ही फल नहीं देती ...

आज लक्ष्मीना देवी व प्रभावती दोनों अपने निजी काम से जब दूसरे गाँव जा रहीं थीं तो स्थानीय विद्यालय के सामने से निकलीं। देखा कि पढ़ने वाले बच्चे, तो कक्षाओं में बैठे ही थे, उनके अलावा छोटे-छोटे बच्चे (लड़के-लड़कियाँ) विद्यालय के बगल के कमरे के बरामदे में बैठे कुछ खा-पी रहे थे साथ ही 5-6 महिलाएँ भी बैठीं थीं।

''देखो! ये छोटे-छोटे बच्चों का आँगनवाड़ी केन्द्र है,'' प्रभावति ने लक्ष्मीना से कहा, ''यहाँ बच्चों को तथा धात्री एवं गर्भवती महिलाओं को पूरक आहार का वितरण होता है। साथ ही इन बच्चों की विद्यालय पूर्व की तैयारी भी करवाते हैं ताकि जब बच्चा या बच्ची पहली बार विद्यालय जाए तो सहज रूप से विद्यालय के वातावरण में ढल जाए।''

''लेकिन हमारी बस्ती के तो एक भी बच्चे या बच्ची को इस तरह का लाभ नहीं मिल रहा?'' लक्ष्मीना ने पूछा।

''मिले कैसे? यह आँगनवाड़ी केन्द्र हमारी बस्ती से बहुत दूर है जहाँ हमारे छोटे बच्चे आ-जा नहीं सकते'' प्रभावती ने बताया।

''लेकिन एक बात है, कायदे से एक आँगनवाड़ी केन्द्र हमारी बस्ती में ही होना चाहिए। आँगनवाड़ी केन्द्र के लिए जितने बच्चों की संख्या चाहिए उससे तो ज़्यादा ही बच्चे हैं हमारी बस्ती में'' प्रभावती ने कहा।

''ठीक है! बाल अधिकार मंच की बैठक में बात करेंगे।'' दोनों को जहाँ जाना था, वह गाँव आ चुका था, दोनों अपने-अपने काम करने में लग गईं।

लक्ष्मीना एवं प्रभावती ग्राम जाल्हूपुर की रहने वाली हैं। जाल्हूपुर, विकास खण्ड चिरईगाँव, जिला (जनपद) वाराणसी, उत्तर प्रदेश, का गाँव है। यह विकास खण्ड मुख्यालय से 8 कि.मी. एवं जिला मुख्यालय से 12 कि.मी. दूर है। यहाँ की अनुसूचित जाति की बस्ती में 100 परिवार हैं व आबादी

लगभग 600 है। लोगों का मुख्य व्यवसाय दैनिक मज़दूरी है, न्यूनाधिक रूप से खेती भी होती है।

बाल अधिकार मंच की बैठक में दोनों महिलाओं (प्रभावती एवं लक्ष्मीना) ने आँगनवाड़ी पर चर्चा करते हुए बताया, "हमारी बस्ती के बच्चे आँगनवाड़ी केन्द्र की सेवाओं से वंचित हैं जो उनका अधिकार है। यह विषय ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन में भी निकलकर आया था जिसपर हमने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है।"

बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई तथा सभी सदस्यों ने प्रभावती एवं लक्ष्मीना की बात से सहमति जताई। तय किया की चन्द्रशेखर एवं अशोक पूरी बस्ती से ऐसे बच्चों की सूची बनाएँगे जो आँगनवाड़ी केन्द्र की सेवाओं के पात्र हैं पर वंचित हैं। इसके बाद बस्ती से पात्र बच्चों की सूची के साथ प्रार्थना पत्र बाल विकास परियोजना अधिकारी, चिरईगाँव के माध्यम से जिला अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, को देंगे।

अगली बैठक में अशोक व चन्द्रशेखर ने पूरे बच्चों की सूची प्रस्तुत की। करीब 60 बच्चे आँगनवाड़ी केन्द्र की सेवाओं के पात्र थे। एक प्रार्थना पत्र तैयार कर सबसे हस्ताक्षर करवाए गए। बच्चों की सूची संलग्न की गई, तीन-चार छाया प्रतियाँ (फोटोकॉपी) भी प्रार्थना पत्र की बनवा लीं गईं।

अशोक कुमार, रामदुलार, लक्ष्मीना, प्रभावती तथा चन्द्रशेखर, पाँचों, बाल विकास परियोजना अधिकारी से मिले। बातचीत कर पूरा विवरण दिया और प्रार्थना पत्र देकर प्रार्थना पत्र प्राप्ति की रसीद ली। बस्ती में आँगनवाड़ी केन्द्र की ज़रूरत को समझते हुए जल्दी केन्द्र शुरू करने, तथा आँगनवाड़ी केन्द्र कार्यकर्त्ता एवं सहायिका की शीघ्रनियुक्ति का आश्वासन मिला। बीच-बीच में जो भी सदस्य चिरईगाँव जाता, बाल विकास परियोजना अधिकारी से सम्पर्क करता।

पूरी बस्ती खुश थी, जब वर्ष 2011 की शुरूआत में आँगनवाड़ी केन्द्र खुला। आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता रीना शर्मा व सहायिका की नियुक्ति बस्ती वालों की राय से हुई। मार्च 2011 में केन्द्र का बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा निरीक्षण भी हुआ। केन्द्र की सेवाओं तथा लाभ लेते बच्चों की स्थिति देखकर वे संतुष्ट थे। जहाँ बस्ती के लोग उनका आभार जता रहे थे, वहीं अधिकारी महोदय

भी बस्ती की जागरूकता एवं कार्यवाही के लिए धन्यवाद दे रहे थे। रामदुलार ने ऐसे में कहा, "साहब, कोई भी योजना यूँ ही फल नहीं देती। हमने योजना बनाई पर जब तक उसका पालन नहीं किया, उस योजना से कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार भी योजना बना दे मगर उसका पालन सुनिश्चित न करे तो उस योजना का भी कोई मतलब नहीं रहता। योजना बनाना और उसको सही

रूप में लागू करना, दोनों, बराबर ज़रूरी हैं।"

रामदुलार के इशारे की दिशा सभी को समझ आ रही थी। अधिकारी महोदय को भी।

***

18. हक, बनाम हकीकत, बनाम हक बना हकीकत

शकुन्तला एवं उर्मिला जब भी अपनी बस्ती से गाँव में जातीं तो आँगनवाड़ी केन्द्र की स्थिति देखकर हैरत में पड़ जातीं। मुश्किल से 2-4 बच्चे बैठे दिखते, कोई खास हलचल नज़र नहीं आती। आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता एवं सहायिका आराम से बैठी गपशप करती नज़र आतीं। कभी तो केन्द्र बंद ही दिखता। दोनों सोचतीं एवं बात भी करतीं, ''जब यहाँ बच्चे ही नहीं आते तो क्यों इस केन्द्र को चला रखा है? या तो जहाँ केन्द्र चल रहा है वहाँ आँगनवाड़ी केन्द्र की सेवाओं के पात्र बच्चे नहीं हैं या माँ-बाप अपने बच्चों को आँगनवाड़ी केन्द्र पर भेजना नहीं चाहते, वे शायद इसकी आवश्यकता भी नहीं समझते। सम्पन्न परिवार हैं तो अपने बच्चों को पूरक आहार के लिए भेजना शान के खिलाफ समझते हैं। कुछ भी कारण हो सकता है?''

लेकिन यह चर्चा दोनों महिलाओं ने तब की थी जब वे इस स्थिति को पिछले लम्बे समय से देखतीं आ रहीं थीं। इन दिनों इन महिलाओं की बच्चों की स्वास्थ्य, शिक्षा, अधिकार, इत्यादि, के बारे में समझ बनने लगी है। बस्ती में इन्होंने एक बाल अधिकार मंच का गठन किया है जहाँ बच्चों के अधिकार आधारित चर्चाएँ ज़्यादा होतीं हैं यद्यपि गाँव के अन्य मुद्दों पर भी चर्चाएँ होती हैं।

शकुन्तला एवं उर्मिला ग्राम खालिसपुर की अनुसूचित जाति की बस्ती की रहने वाली हैं। बस्ती गाँव से अलग हटकर हैं। खालिसपुर विकास खण्ड चिरई गाँव, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश, का गाँव है। बस्ती की आबादी 800 हैं। लोगों का व्यवसाय सिर्फ दैनिक मज़दूरी है जो तय नहीं हैं जैसा भी काम मिले कर लेते हैं। खालिसपुर विकास खण्ड मुख्यालय से 10 कि.मी. एवं जिला मुख्यालय से भी 10 कि.मी. दूर बसा है।

आज बाल अधिकार मंच की बैठक में शकुन्तला ने इस मुद्दे को उठाया। "क्या खालिसपुर में चलने वाला आँगनवाड़ी केन्द्र हमारी बस्ती में नहीं चल सकता? यहाँ हमको ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा आँगनवाड़ी केन्द्र की सेवाओं के पात्र बच्चे हमारी बस्ती में हैं। जहाँ केन्द्र संचालित होता है वहाँ गाँव के बच्चे आते नहीं, हमारे बच्चे इतनी दूर जा नहीं सकते।"

''यह हम भी जानते हैं कि गाँव में चल रहा आँगनवाड़ी केन्द्र केवल नाम का चल रहा है कोई ध्यान नहीं देता, उधर वाले (विभाग वाले) भी ध्यान नहीं देते। जबकि उनको सब पता है, शायद किसी सामाजिक–राजनैतिक दबाव में ही वहाँ केन्द्र चल रहा है'' विनोद कुमार बोले।

तय किया कि प्रधान जी से मिलकर इस आँगनवाड़ी केन्द्र को गाँव से उनकी बस्ती में स्थानांतरित करने के लिए कहेंगे।

ग्राम प्रधानजी से बात की। सोचकर जवाब देने को कहा। दोबारा बात की तो कहा कि विभाग से बात करो। तीसरी बार प्रधान जी से बात हुई तो 'हाँ' किया। बाल अधिकार मंच ने एक प्रार्थना पत्र पूरे विवरण सहित बाल विकास परियोजना अधिकारी के नाम लिखा, सबसे हस्ताक्षर करवाए और बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय जाकर मिले। एक बार तो टालमटोल जैसा जवाब मिला देखेंगे, सोचेंगे, केन्द्र हटवाएँगे तो गाँव के लोग नाराज़ होंगे, इत्यादि।

मंच के लोग निरंतर सम्पर्क में रहे। इस बीच सरपंच, गाँव के लोग भी मिले। लेकिन हकीकत यह थी कि शुरू में सर्वेक्षण के आधार पर केन्द्र बस्ती में ही होना चाहिए था क्योंकि बच्चों की संख्या की दृष्टि और दूरी के हिसाब से बस्ती ही उपयुक्त स्थान था। आखिर में बाल विकास परियोजना अधिकारी ने भी पूरी तथ्यात्मक जाँच कर आँगनवाड़ी केन्द्र अनुसूचित जाति बस्ती में चालू करवाया। यद्यपि गाँव के लोगों को केन्द्र का हटाना अच्छा नहीं लगा, बस्ती के लोग व बच्चे खुश थे। उनका हक अब हकीकत बन गया था।

***

19. मान लो, नहीं तो ..

आज मज़दूरी भुगतान का दिन था। चमेली देवी खुश थी कि आज घर में पैसा आएगा और कल बाज़ार से ज़रूरत की चीज़ें ले आएँगे। रसोई के सामान के साथ-साथ बच्चों की ज़रूरतें भी पूरी होंगी। काफी दिनों से भुगतान न होने से घर में तंगी चल रही थी। चमेली देवी बड़ी मुश्किल से घर चला पा रही थी।

छुट्टी के समय से ही चमेली देवी अपने पति के घर आने का इन्तज़ार कर रही थी। आज तो रोज़ाना से ज़्यादा समय हो गया था लेकिन वे घर नहीं आए थे। बच्चे भी इन्तज़ार कर रहे थे, आखिर बच्चे इन्तज़ार कर सो गए। चमेली देवी बैठी थी।

देर रात में चमेली देवी के पति घर लौटे। उम्मीद तो यही थी कि वे आज तो हँसी-खुशी के साथ घर लौटेंगे। लेकिन यह क्या, वे घर में घुसे तो मुँह लटका हुआ था? चमेली देवी को खटका हुआ, क्या हो सकता

है? पैसा नहीं मिला या और कोई बात हुई है? कई शंकाएँ आ-जा रहीं थीं चमेली देवी के मन में।

चाय लाकर पकड़ाई तो बोले, "मन नहीं है।"

"क्यों? क्या बात है? कुछ बताओगे भी या नहीं?"

आखिर चमेली देवी के पति ने बड़ी मुश्किल से मुँह खोला, कहा, ''सारा पैसा जुए में हार गया।''

चमेली देवी के सिर पर जैसे बर्फ गिर गई थी। सुनकर दंग रह गई। सारी कल्पनाओं एवं ज़रूरतों पर पानी फिर गया था। क्या हो सकता था, झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं था, जैसे-तैसे खाना खाकर सो गई।

चमेली देवी को पूरी रात ठीक से नींद नहीं आई। पूरी रात यही सोचती रही कि क्या करे इनका। इसी उधेड़बुन में कब सवेरा हो गया, पता ही नहीं चला। सुबह जब पानी भरने हैंडपम्प पर गई तो कुछ अन्य महिलाओं की भी यही कहानी सुनने को मिली।

यह कहानी है गाँव उमरहाँ, विकास खण्ड चिरईगाँव, जिला (जनपद) वाराणसी, उत्तर प्रदेश की। उमरहाँ विकास खण्ड मुख्यालय से 3 कि.मी. एवं जिला मुख्यालय से 8 कि.मी. दूर बसा है। गाँव में 62 परिवारों की आबादी 400 हैं। गाँव में न्यूनाधिक रूप से सभी जातियाँ हैं। लोगों की आजीविका मुख्यतया मज़दूरी पर निर्भर हैं।

चमेली देवी ने सभी महिलाओं से बात की। शाम को इकट्ठी होकर बात करना तय रहा।

शाम को सब इकट्ठी हुईं। दुर्गावती, दूला देवी, कुसुम देवी, लक्ष्मी देवी तथा अन्य महिलाएँ। महरजी एवं अब्दुलजी भी आ गए थे। बात की, "यह तो हमारे गाँव में गलत हो रहा है, परिवार बरबाद हो रहें हैं, बच्चों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। जुआ बंद करना है। सभी अपने-अपने पड़ौस में बात करें तथा कल जहाँ भी ये लोग जुआ खेलते हैं इकट्ठे होकर चलेंगे, वहीं बात करेंगे।"

तय समय पर लोग इकट्ठा हुए। सबसे ज़्यादा महिलाएँ थीं। कुछ बच्चे और पुरुष भी थे। आखिर जहाँ लोग ताश-जुआ खेल रहे थे, इकट्ठे वहाँ पहुँचे। इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को अपने चारों ओर देखकर खेलने वालों को समझ में नहीं आया कि माजरा क्या है।

''आप लोग यह ठीक नहीं कर रहे हैं। परिवार एवं बच्चे आपकी इन हरकतों से परेशान हैं। हम चाहते हैं कि अपने-अपने परिवारों एवं बच्चों के हित में यह ताश-जुआ बंद कर दें। यह पहला मौका है जब हम सब लोग आपसे जुआ बंद करने की बात करने आए हैं और उम्मीद है कि आज के बाद उमरहाँ में यह सब नहीं होगा।''

खेलने वाले सब शर्मिंदा लग रहे थे। लोगों की नज़र उनके चेहरों एवं भावों पर थी। आखिर इतने लोगों के सामने ''अब नहीं खेलेंगे'' यही कहा।

पूरे सप्ताह नज़र रखी सब लोगों ने। ज़्यादातर यह खेल बंद हो गया था, फिर भी छुट-पुट रूप से खेलने के समाचार मिल रहे थे। दोबारा दस महिलाओं का एक समूह निकला। कुछ लोग खेलते मिले, लेकिन बहुत ही कम दो-चार लोग ही थे।

जैसे ही महिलाएँ पहुँची, ताश बंद कर दिया। आखिर दुर्गावती ने कहा, ''आप लोग अगर अब भी नहीं माने तो हम आप लोगों के खिलाफ पुलिस में कार्यवाही करेंगे।''

पुलिस कार्यवाही की बात सुनकर खेलने वालों ने क्षमा माँगकर भविष्य में नहीं खेलने का वायदा किया।

उमरहाँ में अब जुआ बंद है, लोग नज़र रखे हुए हैं, कुछ पुख्ता सामाजिक नियम भी जुआ खेलने वालों के खिलाफ बनाने की सोच रहे हैं ताकि बच्चों के अधिकार सुरक्षित रह सकें।

***

20. शौचालय

रीना एवं मीना (कल्पित नाम) को शौचालय जाना था। कक्षा से बाहर आकर जब शौचालय की तरफ गईं तो वहाँ लड़कों को आते-जाते देखकर खड़ी हो गईं। यह स्थिति काफी देर रही। जैसे ही शौचालय जाने की सोचती फिर कोई लड़का आ जाता, वापस लौट जाती। आखिर विद्यालय परिसर के बाहर निकलीं तो बाहर भी वही स्थिति थी, या तो कोई लड़का दिख जाता या फिर रास्ते से आते-जाते लोग। आखिर दोनों ने अपने-अपने घर जाना ही उचित समझा।

दोनों जब तक घर से निवृत्त होकर लौटीं, एक कालांश समाप्त हो चुका था। दोनों यही चर्चा करती आ रहीं थीं, "यह तो गलत है बिना दरवाज़ों के हम लड़कियाँ कैसे शौचालयों का उपयोग करें?" दोनों ही बाल मंच की सदस्य थीं, दोनों ने तय किया कि इस बार बाल मंच की बैठक में इसपर चर्चा करेंगी।

यह स्थिति थी पूर्व माध्यमिक विद्यालय कमौली की। कमौली विकास खण्ड चिरईगाँव, जिला (जनपद) वाराणसी, उत्तर प्रदेश, का गाँव है। कमौली विकास खण्ड मुख्यालय से 7 कि.मी. तथा जिला मुख्यालय से 15 कि.मी. दूर बसा है। गाँव में राजभर समुदाय के 100 परिवार हैं जिनकी आबादी 800 हैं। लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन दैनिक मज़दूरी हैं।

बाल मंच की बैठक में रीना एवं मीना ने इस समस्या को रखा। दूसरी बाल मंच की सदस्य लड़कियों को भी इस समस्या से सहमति तो थी ही, विचार-विमर्श कर तय किया कि इस समस्या को मीना एवं गोपाल (कल्पित नाम) अगले दिन गाँव के बाल अधिकार मंच की बैठक में रखेंगे।

बाल अधिकार मंच की बैठक में बच्चों की बात को पहले सुना गया और समस्या को संवेदनशीलता पूर्वक लिया गया। सदस्य जानते थे कि मुद्दा बेटियों के विद्यालय में ठहराव को तो प्रभावित करता ही है, उनकी सुरक्षा तथा समाज की प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में तय किया कि सदानन्द, जालंधर व रामशंकर प्रधान जी एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से मिलकर समस्या का समाधान करें। अगर ज़रूरत पड़े तो वापस मंच को बताएँ, पूरा मंच इसके लिए आगे की कार्यवाही करेगा।

दूसरे दिन तीनों तय सदस्य प्रधानाचार्य जी से मिले। बातचीत की। प्रधानाचार्य जी ने बताया कि वे प्रधान जी को यह समस्या बता चुके हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है।

"चलिए! एक बैठक विद्यालय में ही रखते हैं तथा उसमें प्रधान जी को भी बुलाते हैं।" सदस्यों ने स्थिति की जटिलता को समझते हुए निर्णय लिया।

शनिवार का दिन बैठक के लिए तय किया गया। तीनों ही प्रधान जी से मिले। आग्रह किया, "शनिवार को विद्यालय में बैठक रखी है आपको आना है, विद्यालय की कुछ समस्याएँ हैं जिनपर विद्यालय परिवार, आप और बाल अधिकार मंच मिलकर बातचीत करेंगे और उनका समाधान करेंगे ताकि कमौली का विद्यालय बाल-मित्रवत विद्यालय बने।"

तय समय पर बैठक शुरू हुई। गाँव के लोग विद्यालय पहुँच गए थे। प्रधान जी भी तय समय पर आ गए। वे शौचालयों के दरवाज़ों की समस्या से अवगत थे, बातचीत शुरू होते ही बोले, ''मैंने शौचालय के दरवाज़ों की व्यवस्था कर दी है, अगले दो-तीन दिन में लग जाएँगे।''

दूसरी समस्याओं पर भी चर्चा हुई जिनको एक-एक कर हल करना तय रहा। लोगों ने ज़िम्मेदारियाँ बाँट लीं। प्रधानाचार्य जी एवं प्रधान जी गाँव वालों की पहल एवं संवाद देखकर प्रभावित थे।

कुछ ही दिनों में शौचालयों के दरवाज़े लग गए। विद्यालय के बच्चे खुश थे विशेषकर लड़कियाँ। उन्हें लगने लगा कि समुदाय उनके प्रति अब संवेदनशील हो गए है। विद्यालय की अन्य समस्याओं पर भी कार्यवाही होने लगी। मंच के लोगों का भी उत्साह बढ़ा था।

***

21. बालिका शिक्षा सामाजिक दीक्षा

सीमा व चंदा जब भी अपने जैसी लड़कियों को विद्यालय जाते देखती, हमेशा यही सोचती, "काश! हम भी आगे की कक्षा में पढ़ने जाते।"

सीमा व चंदा को पाँचवीं कक्षा के बाद घरवालों ने आगे पढ़ाई से रोक लिया था क्योंकि गाँव में बालिकाओं की शिक्षा को महत्त्वपूर्ण नहीं समझा जाता था।

पर इन दिनों गाँव में बच्चों एवं उनके अधिकारों इत्यादि को लेकर खूब चर्चाएँ हो रहीं हैं। गाँव के लोगों का एक मंच बना है जिसका नाम ही बाल अधिकार मंच रखा है। इसी तरह से बच्चों ने भी एक मंच का गठन किया है जिसका नाम बाल मंच रखा गया है। सीमा व चंदा भी बाल मंच की सदस्य हैं।

बाल मंच में बात हो रही थी बालक-बालिका में भेदभाव की। सब सहमत थे, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तभी चंदा ने प्रश्न किया, ''हमारे भैया तो आगे पढ़ने जा रहे हैं और हमें रोक लिया है। यह भेदभाव नहीं तो और क्या है?''

बहुत बड़ा प्रश्न था चंदा का, जिसका जवाब बच्चों की समझ से बाहर था लेकिन सब इस बात से सहमत थे कि लड़कियों को आगे पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। एक सूची बनी जिसमें जिन लड़कियों को पाँचवीं कक्षा के बाद आगे पढ़ने से रोक लिया था, सीमा, चंदा, लाली, प्रेमलता, पूजा कुमारी तथा अन्य, उनके नाम थे।

तय किया कि इस सूची को बाल अधिकार मंच में देंगे तथा कहेंगे कि इन लड़कियों को भी आगे पढ़ने का मौका मिले। बाल अधिकार मंच लड़कियों एवं विद्यालय से बात कर शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करें।

यह बालमंच है ग्राम लेदूपुर, विकास खण्ड चिरईगाँव, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश, का। लेदूपुर विकास खण्ड मुख्यालय से 5 कि.मी. तथा जिला मुख्यालय से 8 कि.मी. दूर है। 80 परिवारों

वाले इस गाँव की कुल आबादी लगभग 1000 है। सभी परिवार अनुसूचित जाति के हैं। सभी लोगों की आजीविका दैनिक मज़दूरी हैं।

बाल अधिकार मंच में जब सूची पहुँची तो उस पर विचार हुआ। चंदा की बात को गंभीरता से लिया गया। ऐसे सभी अभिभावकों को बुलाकर बात की गई, जिन्होंने लड़कियों की पढ़ाई रोक दी थी या जिनकी लड़कियाँ पढ़ने नहीं जातीं थीं।

गाँव के समुदाय के बीच जब ऐसे अभिभावक पहुँचे तो बातचीत के बाद सभी अभिभावक बच्चियों को आगे पढ़ाने को तैयार हुए। आखिर सब उसी समुदाय का हिस्सा है जो समुदाय बच्चे–बच्चियों की पढ़ाई, स्वास्थ्य, पोषण तथा अधिकारों की बात करता है।

सुनीता, भारती, अमन कुमार, चन्द्र शेखर तथा इन्द्रावती देवी ने यह ज़िम्मेदारी ली कि वे विद्यालय जाकर ऐसी लड़कियों के प्रवेश के लिए बात करेंगे। पाँचों लोग विद्यालय गए और बात की। प्रधानाध्यापक जी इन लड़कियों को प्रवेश देने के लिए सहमत थे तथा सुझाव दिया कि जिन लड़कियों को पढ़ाई छोड़े दो वर्ष या अधिक हो गए हैं, उनको दूसरे बच्चों के बराबर आने के लिए अतिरिक्त मेहनत करवानी पड़ेगी, यह ज़िम्मेदारी अभिभावक लें। बाल अधिकार मंच के लोगों ने यह ज़िम्मेदारी पूरा करने का संकल्प लिया।

लड़कियों को कक्षा 6 में प्रवेश दिला दिया गया। घर पर अतिरिक्त पढ़ाई की ज़िम्मेदारी चन्द्रशेखर ने ली जो केवल इन्हीं लड़कियों को नहीं बल्कि बाल मंच के सभी बच्चों को 2 घंटे निःशुल्क पढ़ाई करवाने लगा। चन्द्रशेखर गाँव का ही एक स्नातक नौजवान है जो बाल अधिकार मंच की सभी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाता है। चंदा व सीमा ही नहीं दूसरी सभी लड़कियों की पढ़ाई में भेदभाव की शिकायत दूर हो गई है। सब खुश हैं। समुदाय ने तो जैसे बालिका शिक्षा की दीक्षा ही ले ली है। अब नहीं लगता कि लेदूपुर की कोई भी बालिका शिक्षा से वंचित रहेगी।

***

22. बैंड-बाजा-बारात-रोशनी

बारात की निकासी हो रही थी। जहाँ बाराती बैंड-बाजे की धुन पर थिरक रहे थे, दूल्हा चमचमाती तथा सजी-धजी कार में खुश था वहीं इन सबके चारों ओर अपने कंधों पर ट्यूबलाईटें एवं बल्बों के चमचमाते गमले कंधों पर उठाए बच्चे जनरेटर वाले एवं बैंडमास्टर के ईशारों पर चल रहे थे। सारे बच्चे 18 वर्ष से कम उम्र के थे जो कभी बारातियों, कभी दूल्हे तथा कभी विडियोग्राफर एवं फोटोग्राफर की तरफ देखकर चल रहे थे। ये ही लोग थे जिनके चेहरों पर खुशी के भाव के स्थान पर मज़दूर के भाव झलक रहे थे। जहाँ बाराती एवं अन्य लोग सजे-धजे थे वहीं ये लोग अपने पुराने सलवट पड़े पेंट व कमीज़ों में थे। बीच-बीच में गमले की पकड़ बदलते रहते ताकि कार्यक्रम पूरा होने तक शरीर चलता रहे और हाथ, पैर, गर्दन, कमर सहित पूरे शरीर में होने वाला दर्द कम-से-कम हो। पर बिजली के तार और बैंड की शोभा और चकाचौंध रोशनी झेलनी पड़ती थी सो अलग।

ये बच्चे हैं ग्राम आशापुर, विकास खण्ड चिरईगाँव, जिला (जनपद) वाराणसी, उत्तर प्रदेश के। यह गाँव ब्लॉक मुख्यालय से जिला मुख्यालय तक की दूरी 10 किमी. है।

गाँव में बना बाल मंच 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का मंच है। मंच में जहाँ खेलकूद, मनोरंजन की गतिविधियाँ होती हैं वहीं बच्चों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती है जो बच्चे के जीवन को प्रभावित करते हैं। उदाहरणार्थ, बाल विवाह, बाल श्रम, इत्यादि ऐसे मुद्दे हैं जिनपर यथा समय ध्यान नहीं देने पर बच्चे के भविष्य एवं उसके शारीरिक, मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही उचित पोषाहार, सही एवं पूर्ण शिक्षा बच्चे के जीवन व उसके भविष्य को संवारने में मदद करते हैं।

आज भी यही चर्चा हो रही थी बाल मंच की बैठक में। चर्चा के दौरान राजकुमार (कल्पित नाम) ने बताया कि गाँव के अधिकांश बच्चे नियमित विद्यालय जाने की बजाय उत्सवों की लाईटें ढोने का काम करते हैं। नाम भी बताए थे राजकुमार ने यथा रविशंकर, मूरत, राजतिलक, राजन, इत्यादि,

जो पढ़ाई की जगह काम पर ध्यान ज़्यादा रखते हैं। इनके अभिभावक भी इसपर ध्यान नहीं देते। ''क्या करना चाहिए?'' इस सवाल पर, बच्चे तो बच्चे ठहरे, तय किया कि हम लोग बाल श्रम (ट्यूबलाईट ढोना) नहीं करेंगे।

''हमारा निर्णय तो ठीक है लेकिन हमारे अभिभावक नहीं माने तो हमारा निर्णय लेना-न-लेना बेकार है। इसलिए, हमें इस निर्णय से बाल अधिकार मंच को अवगत करवाना चाहिए ताकि वे हमारी इस मुद्दे पर मदद करें।'' माया (कल्पित नाम) ने सुझाव दिया।

बच्चों ने माया के सुझाव को मानते हुए अपने निर्णय से बाल अधिकार मंच को अवगत करवाया। इस पर बाल अधिकार मंच में चर्चा हुई, आखिर बाल अधिकार मंच भी इसलिए बना है कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा हो, उनकी भावनाओं का सम्मान हो, उनके लिए गए जायज़ निर्णय से बाल अधिकार मंच सहमत हो तथा बच्चों का हौसला बढ़ाए। तय किया, "बच्चों ने जो निर्णय लिया है उससे हम सब सहमत हैं और भविष्य में बच्चों को काम में न लगाकर नियमित विद्यालय भेजेंगे।"

इस निर्णय को पूरे गाँव में लागू करने के लिए महेन्द्र, माया देवी, राम नरेश एवं पंकज ने ज़िम्मेदारी ली कि वे हर अभिभावक से सम्पर्क कर बच्चों को काम पर जाने से रोकेंगे तथा नियमित विद्यालय भेजने का आग्रह करेंगे।

कुछ अभिभावकों ने, जो बैठक में मौजूद थे, उन्होंने तुरंत यह संकल्प किया कि वे अपने बच्चों से श्रम न करवाकर नियमित विद्यालय भेजेंगे। शेष अभिभावकों से भी बात की गई। कुछ मान गये जबकि लगभग सबने गरीबी की दुहाई दी। बाल अधिकार मंच प्रयास कर रहा है कि ऐसे परिवारों को जो भी सरकारी लाभ मिल सकता हो, उपलब्ध कराया जाए ताकि वे भी अपने बच्चों को बाल श्रम की बजाए शिक्षा से जोड़ पाएँ।

आशा है कि आशापुर के इन बच्चों के हाथ में जल्द ही बिजली के बल्बों या ट्यूबलाईटों की नहीं बल्कि किताबों की वास्तविक रौशनी होगी। लोग कोशिश कर रहे हैं कि आशापुर के हर बच्चे को उसका अधिकार मिले।

***

23. हर समस्या का समाधान होता है

शाम का लगभग 3 से 4 बजे के बीच का समय था। महिला–पुरुष–बच्चे सब बस्ती की तरफ लौट रहे हैं। सभी के कंधों पर प्लास्टिक के बोरे लटके थे जिनमें प्लास्टिक की खाली बोतलें, लोहे का कचरा, प्लास्टिक की थैलियाँ एवं अन्य, सामान जो लोग उपयोग में लेने के बाद फेंक देते हैं, वहीं सब भरा था। आज ये लोग थोड़ा जल्दी लौट रहें थे, बस्ती में एक फिल्म शो आयोजन था। यह कार्यक्रम बस्ती में संपर्क कर पूर्व में ही बनाया गया था तथा समय उन्हीं की सुविधा अनुसार तय किया हुआ था जो सबको मालूम था। जगह भी तय थी इसलिए कंधों पर लदे बोरे अपनी–अपनी झोपड़ी में डालकर, पानी इत्यादि पीकर, सब एकत्रित हो गए थे।

फिल्म थी 'मीना' जो बच्चों के मुद्दों पर आधारित है। विशेषकर लड़कियों के मुद्दों को उद्घाटित करती हुई बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा का संदेश देती है।

सभी ने फिल्म देखी। उसके बाद चर्चा शुरू हुई। चर्चा में वे ही सब मुद्दे थे, बच्चों की शिक्षा, बाल विवाह, दहेज, लड़का–लड़की में भेद, पोषण, इत्यादि। यह शुरूआती दौर का बस्ती में बच्चों के मुद्दों पर काम करने का। लोगों ने कई प्रश्न उठाए थे। संस्था हम लोगों के साथ कब तक रहेगी, न रहेगी। बस्ती में लोगों से, बच्चों से मिलने का और आपसी समझ एवं विश्वास कायम करने का यह सिलसिला जारी रहा ।

यह वाराणसी, उत्तर प्रदेश के शहर की कच्ची बस्ती है। दो बस्तियाँ जुड़ी हुई हैं जिनको कच्ची बस्ती 3 व 4 के नाम से जाना जाता हैं। दोनों बस्तियों में मिलाकर 70 परिवार हैं। सभी मुस्लिम हैं, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। मातृभाषा बंगाली है। हिन्दी भी बोल लेते हैं, समझ भी लेते हैं। पूरा परिवार कचरा बीनने का काम करता है जिसमें महिला, पुरुष एवं बच्चे भी जुटते हैं। औसत आमदनी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 100 रु. हो जाती है। बच्चे भी लगभग 50 रु. प्रतिदिन औसत कमा लेते हैं। यही दिनचर्या हैं इन परिवारों की एवं यही आजीविका है। बाँस या लकड़ी पर प्लास्टिक के तिरपाल डालकर अपनी झोंपड़ी खड़ी कर लेते हैं, पूरा परिवार उसी में अपना जीवन गुज़ारता हैं।

'मीना' फिल्म व चर्चा को लोगों ने कितना समझा, कहना मुश्किल है, लेकिन बच्चे व बच्चियों को बड़ा मज़ा आया और एक आशा की किरण फूटी। बस्ती के बच्चे पढ़ना चाह रहे थे लेकिन उनका काम परिवारों की हालत तथा उनकी समझ एवं परिस्थितियाँ बच्चों की पढ़ाई के आड़े आ रही थी। फिर भी चर्चा जारी रही। राजकीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाना अभी मुश्किल काम था क्योंकि बच्चे परिवार के साथ निकल जाते थे। बच्चे आमदनी के स्रोत भी थे, जो उनकी ज़रूरत थी।

बच्चे कैसे पढ़ें? इसपर विचार, मनन, चर्चा जारी रही। एक विचार आया जो बच्चों का ही था। अगर काम से लौटने के बाद उन्हें एक–आध घंटा बस्ती में ही कोई पढ़ाई करवा दे तो अच्छा रहे। खर्च का प्रश्न था, अभिभावक तैयार नहीं थे। कौन पढ़ाएगा? कितने दिन पढ़ाएगा?

ज़्यादातर बच्चे कमाते हैं इसलिए एक प्रश्न रखा कि अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो

क्या हम अपनी पढ़ाई के लिए छोटा-सा खर्च नहीं कर सकते? अभिभावक चुप थे लेकिन बच्चे खुशी-खुशी हाँ कर रहे थे। कोई कह रहा था मैं पाँच रुपये रोज़ खर्च कर सकता हूँ, कोई सात रुपये बता रहा था। एक बच्चे ने कहा मैं दो रुपये खर्च कर सकता हूँ।

माहौल को भुनाना था। दो रुपये प्रतिदिन पर सब राज़ी हुए। गुल्लक खरीदकर उसमें दो रुपये रोज़ डालेंगे। मोटा हिसाब लगाया तो आवश्यक खर्च स्लेट, पेंसिल, कॉपी एवं पढ़ाने वाले का मानदेय निकल रहा था।

तय किया कि अगले दिन से शुरुआत करेंगे। लेकिन पढ़ाएगा कौन? एक बच्चे ने हँसते हुए संस्था कार्यकर्त्ता से कह दिया, "दीदी आप ही पढ़ाना शुरू कर दो न! टीचर बाद में ले आना।"

बच्चों के उत्साह एवं लगन ने पढ़ाई शुरू करवाने पर मजबूर किया। आने का वादा किया। चार बजे पहुँची तो बच्चे नहाए-धोए साफ-सुथरे हाथ में कॉपी, पेंसिल लेकर खड़े थे। एक कुर्सी भी रखी हुई थी, कुछ बच्चों ने गुल्लक दिखाई। कुछ शिक्षण सामग्री खरीदी गई। एक शिक्षिका की व्यवस्था भी की गई जो रोज़ इस समय बच्चों को पढ़ाने आने लगी। कुछ खर्च शुरू में संस्था ने भी उठाया पर यह स्पष्ट था कि इसे चलाना है तो लागों को ही इसे उठाना होगा। सभी सहमत थे। शिक्षा प्राथमिक स्तर से आगे पहुँच पाती है या नहीं, औपचारिक शिक्षा से जुड़ाव हो पाता है या नहीं, ऐसी कई समस्याओं का सामना करना अभी बाकी है। पर बच्चों ने यह तो सिखा ही दिया कि, "हर समस्या का समाधान होता है।" एक समस्या फिलहाल सुलझ गई। आगे भी कुछ न कुछ समाधान निकल ही आएगा।

***

24. नया माहौल

मौका था गाँव स्तरीय सूक्ष्म नियोजन कार्यशाला का। समुदाय इकट्ठा था अपने गाँव की समस्याओं को सूचीबद्ध करने, उनकी प्राथमिकता तय कर समाधान ढूँढ़ने तथा समस्याओं के समाधान के लिए। सब उत्साहित थे। चम्पादेवी, शंकर, नथूनीराम, अवध, बिंदो देवी, केवला, फूला देवी, छोटी लाल, राजकुमार एवं गजानंद, इत्यादि, सक्रिय रूचि ले रहे थे। समुदाय के अन्य लोग एवं बच्चे भी मौजूद थे। बातचीत शुरू की तो सब अपनी-अपनी बात रखना चाह रहे थे। होड़-सी लग रही थी। जब लोगों ने बताना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था, गाँव में समस्याओं के अलावा कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं।

हम लोग तसल्ली में थे। गम्भीरता पूर्वक लोगों को सुन रहे थे, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा था कि किसी को यह मालूम नहीं होना चाहिए कि मेरी बात सुनी नहीं, चाहे उसने दूसरे की कही बात का ही दोहरान ही किया हो। हमारे एक साथी संवाद को निरंतर लिख रहे थे। आखिर गाँव की समस्याओं को सूचीबद्ध किया। जो समस्याएँ पूरे समुदाय को प्रभावित कर रही थी, उनको पहले लिया। अंतिम सूची तैयार हुईः

1. स्वच्छ पेयजल
2. नरेगा के अंतर्गत पंजीकरण एवं भुगतान
3. गाँव के रास्तों में खरंजा
4. आँगनवाड़ी केन्द्र का सुव्यवस्थित संचालन एवं निरंतरता
5. टीकाकरण
6. गरीबों का आवास निर्माण

आखिर हर समस्या पर चर्चा कर उसके प्रभावों पर चर्चा हुई। लोगों का कहना था कि आबादी के हिसाब से कम-से-कम पाँच हैंडपम्पों की ज़रूरत है। लोग पेयजल के लिए इधर-उधर भटकते हैं जिसमें लोगों का अनावश्यक समय व श्रम जाता है। ज़रूरत के हिसाब से नरेगा में जॉब कार्ड नहीं बन रहे हैं। 60 लोगों का लगभग डेढ़ माह का भुगतान नहीं हुआ है। गाँव में खरंजा नहीं

होने की वजह से कीचड़ होता है, लोगों व बच्चों को आने-जाने में परेशानी होती है। गंदगी भी जमा होती है। आँगनवाड़ी केन्द्र सुचारू नहीं है। पात्र बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाओं को पूरक आहार नहीं मिल रहा है। समय पर टीके भी नहीं लग रहे हैं। कुछ परिवार ऐसे हैं जो सरकार की 'गरीबों का आवास' योजना के पात्र हैं पर उनको निर्धारित मदद एवं सुविधा नहीं मिल रही है।

बाल अधिकार मंच से जुड़े लोगों ने समुदाय को आश्वासित किया कि एक-एक कर सभी समस्याओं के समाधान पूरे समुदाय के सहयोग से करेंगे। समुदाय की तरफ से भी बात आई, ''आप लोग आगे रहकर इन समस्याओं के समाधान के लिए काम करें, जहाँ पूरे समुदाय या लोगों की ज़रूरत हो बताएँ, सब साथ हैं।''

इन्हीं सब चर्चाओं के साथ सूक्ष्म नियोजन कार्यशाला का समापन हुआ। अब ज़िम्मेदारी बाल अधिकार मंच की थी। बैठक की, चर्चा कर तरीके निकाले गए, रणनीति बनाई :

स्वच्छ पेयजलः- इसके लिए चम्पा देवी व शंकर ने ज़िम्मेदारी ली जिन्होंने लिखित में आवेदन तैयार कर हैंडपम्पों का विवरण तैयार किया।

नरेगा में जॉब कार्ड एवं भुगतानः- यह ज़िम्मेदारी नथूनी एवं रामअवध ने लेकर, जिनको काम चाहिए, जिनका भुगतान नहीं हुआ, उनकी सूची एवं आवश्यक विवरण तैयार किया।

आँगनवाड़ी, टीकाकरण एवं आवासः- फूला देवी एवं छोटी लाल ने ज़िम्मेदारी लेकर विवरण तैयार किया।

यह भी तय हुआ कि जो समस्याएँ गाँव में हैं वे मुख्यतया विकास अधिकारी, सरपंच एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी से संबंधित हैं, अतः, यह ठीक रहेगा कि तीनों से बात करें। तारीख तय करें, गाँव में बुलाएँ और समुदाय के सामने इकट्ठा बात करें। यह ज़िम्मेदारी राजकुमार, गजानन्द एवं कार्यकर्त्ता ने ली।

दिनाँक 8.2.2010 को गाँव में एक नया ही उत्साह था। सरपंच, बी.डी.ओ., सी.डी.पी.ओ. सब एक मंच पर थे। समुदाय की तरफ से तैयारी थी। औपचारिक स्वागत, सत्कार एवं परिचय के बाद

हर समूह, जिन्होंने अलग-अलग समस्याओं की ज़िम्मेदारी ली थी, उन्होंने अपनी बात रखी साथ ही लिखित में भी सौंपा।

यह पहला मौका था सरकार एवं पंचायती राज के प्रतिनिधियों के लिए भी जब समुदाय अपनी बात को शालीनता एवं व्यवस्थित तरीके से रख रहा था। चर्चाएँ, विचार-विमर्श हुआ। सरकारी एवं पंचायती राज प्रतिनिधियों ने अपनी ज़िम्मेदारी स्वीकार करते हुए सभी समस्याओं का समाधान शीघ्रातिशीघ्र करने का आश्वासन दिया और धन्यवाद के साथ सरकार समुदाय कार्यशाला का समापन हुआ। आखिर एक सप्ताह में ही समस्याओं का निपटारा होना शुरू हो गया।

1. तीन नए हैंडपम्प लगे।
2. नरेगा का डेढ़ महीने का भुगतान, जो 60 लोगों का रुका हुआ पड़ा था, हुआ।
3. आँगनवाड़ी व्यवस्थित रूप से नियमित शुरू हो गई तथा पात्र बच्चों, धात्री महिलाओं एवं गर्भवती महिलाओं को पूरक आहार मिलने लगा।
4. 12 बच्चों का टीकाकरण तुरंत हुआ, साथ ही आँगनवाड़ी केन्द्र में कार्यकर्त्ता नियमित हुई जिससे बच्चों, धात्री तथा गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण एवं स्वास्थ्य सेवाएँ सतत् रूप से मिलने लगीं।
5. 4 पात्र परिवारों को आवास निर्माण हेतु अनुदान राशि स्वीकृत हुई।
6. गाँव में खरंजा निर्माण एवं आँगनवाड़ी केन्द्र के लिए भवन का कार्य प्रक्रिया में हैं।

लोग खुश हैं। सामुदायिक कामों के लिए ग्राम पंचायत एवं विभागों के सम्पर्क में हैं। एक नया माहौल है।

यह गाँव है कौंची और ऊपर्युक्त कथन है प्रयत्न के समुदाय प्रेरक का जो यहाँ कार्यरत है। कौंची विकास खण्ड चरईगाँव, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश, का गाँव है। 150 परिवारों के गाँव की आबादी लगभग 1600 हैं। यद्यपि गाँव में सभी समुदाय के परिवार हैं लेकिन अनुसूचित जाति के परिवार बहुतायत में हैं। गाँव में न्यूनाधिक रूप से कृषि होती है लेकिन आजीविका का साधन दैनिक मज़दूरी है।

***

25. एक झिक्के के दो पहलू

आज गिरजा देवी एवं लालमणि जब विद्यालय की तरफ लगे हैंडपम्प से पानी लेने गईं तो उस समय विद्यालय का भोजनावकाश चल रहा था। कुछ बच्चे विद्यालय परिसर के आस-पास खेलकूद कर रहे थे, कुछ बच्चे गाँव की तरफ जा रहे थे। अध्यापक विद्यालय के बरामदे में कुर्सियों पर बैठे चाय पी रहे थे। दो-तीन बच्चे भी हैंडपम्प पर आकर पानी पीने लगे।

''क्या खाना खा लिया?'' ऐसे ही पूछ लिया था लालमणि ने बच्चों से।

''विद्यालय में पिछले एक सप्ताह से दोपहर का भोजन नहीं बन रहा है।'' बच्चों ने बताया।

''क्यों?'' गिरजा देवी ने पूछा।

''क्या पता?''

यह कह कर बच्चे विद्यालय की तरफ लौट गए। गिरजा देवी एवं लालमणि भी अपनी-अपनी मटकियाँ सिर पर रखकर घर की तरफ लौट गईं।

''आज-कल विद्यालय में दोपहर का खाना कैसे बंद है? यह तो गलत है।'' लालमणि बोली।

गिरजा देवी ने भी लालमणि की बात का समर्थन किया, ''सही बात है, जब सरकार की तरफ से हर विद्यालय में हर बच्चे के लिए दोपहर का खाना देने की व्यवस्था है और यह बच्चों का अधिकार है तो फिर यहाँ यह बंद क्यों है? लगता है स्थानीय स्तर पर ही कुछ गड़बड़ है, बात करनी पड़ेगी।''

घर आ गया था। बात करते-करते दोनों अपने-अपने घर चलीं गईं।

बच्चों का दोपहर का खाना बनना व खिलाना बंद पड़ा था ग्राम गौरडीह के विद्यालय में। गाँव गौरडीह विकास खण्ड चिरईगाँव, जिला (जनपद) वाराणसी उत्तर प्रदेश का गाँव हैं। विकास खण्ड

मुख्यालय से 8 कि. मी. व जिला मुख्यालय से 17 कि. मी. दूर बसा है गौरडीह। गाँव में 45 परिवार है सभी परिवार हरिजन जाति से हैं। मुख्यतया दैनिक मज़दूरी पर निर्भर है। खेती नहीं के बराबर है।

बच्चों के मन में भी यह बात आ रही थी, गिरजा देवी एवं लालमणि ने याद दिला दी। आज बाल मंच की बैठक में चर्चा का विषय विद्यालय में दोपहर का भोजन ही रहा। तय किया कि बाल अधिकार मंच को बता दें।

बाल अधिकार मंच की बैठक में चर्चा कर तय किया कि यह तो बच्चों के अधिकारों का हनन है। गिरजा देवी एवं लालमणि ने तो यहाँ तक कह दिया कि मंच को इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों को करनी चाहिए। सब लोग गिरजा देवी एवं लालमणि की बात से सहमत थे लेकिन इससे पहले एक बार विद्यालय में प्रधानाध्यापक जी से बात करना चाहते थे। यह ज़िम्मेदारी गिरजा देवी, महोदरा देवी, लालमणि, किरण देवी एवं उषा देवी ने ली और कहा कि कल हम विद्यालय जाकर इस विषय पर प्रधानाध्यापकजी से बात करेंगे।

जैसे ही महिलाएँ विद्यालय पहुँची प्रधानाध्यापक जी ने पूछा, ''कैसे आना हुआ?''

''हम बच्चों के दोपहर के भोजन पर चर्चा करने आए हैं जो पिछले एक माह से बंद है।''

"यह बात तो आप प्रधान जी (सरपंच) से करें तो अच्छा होगा।" यही कहा था प्रधानाध्यापक जी ने। लग रहा था प्रधानाध्यापक जी के लिए शायद यह कोई ज़रूरी मुद्दा नहीं हैं जिसपर ध्यान दिया जाए या फिर पंचायत और विद्यालय के बीच तालमेल का अभाव है जिसकी वजह से बात प्रधान जी पर टाल दी गई है।

''ठीक है! कल हम प्रधान जी से बात करेंगे।'' कहकर महिलाओं ने प्रधान जी से मिलने का कार्यक्रम बनाया।

सुबह का समय तय था, महिलाएँ प्रधान जी से मिलने के लिए तैयार थीं, तभी लालमणि एवं गिरजा देवी के घर विद्यालय से 2 बच्चे आए और कहा, ''आपको विद्यालय में बुलाया है, प्रधान जी विद्यालय में आए हुए हैं।''

शायद प्रधानाध्यापक जी ने सारी सूचना प्रधान जी को देकर बता दिया था कि मुद्दा गंभीर है तुरंत हल करें। प्रधान जी को भी शायद खटका लगा कि बात आगे गई तो विद्यालय एवं पंचायत के लिए ठीक नहीं है। तुरंत विद्यालय आ गए।

सब लोग इकट्ठा थे। महिलाएँ भी विद्यालय पहुँच गई थीं। इससे पहले कि महिलाएँ अपनी बात रखतीं, प्रधान जी ने कहा, ''कुछ समस्या आई थी। बच्चों का खाना इस माह से सुचारू हो जाएगा।'' क्या समस्या थी प्रधान जी ने नहीं बताया। महिलाओं ने भी इस बहस में पड़ने के स्थान पर इतना ही कहा, "बच्चों के दोपहर के भोजन में भविष्य में कोई समस्या न हो यह आपकी एवं विद्यालय की ज़िम्मेदारी है।"

विद्यालय में बच्चों का दोपहर का खाना, इस घटना के बाद, व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलने लगा है। बारी-बारी से लोग निगाह भी रख रहे हैं। वे जानते हैं कि यह उनकी, विद्यालय की और प्रशासन की ज़िम्मेदारी है। बच्चों ने भी तय कर लिया है कि अब कभी भी ऐसी अनियमितता विद्यालय में देखने को मिलेगी तो वे अभिभावकों को बताने में देर नहीं करेंगे। आखिर हर अधिकार के साथ कोई-न-कोई ज़िम्मेदारी जुड़ी होती है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

***

26.अब देर नहीं होगी।

बात शुरू हुई थी बच्चों से। बच्चों का पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों के अधिकार आदि की बात चल रही थी और आकर टिक गई थी अभिभावकों की ज़िम्मेदारी पर। अभिभावक प्रथम ज़िम्मेदार हैं बच्चे के सही पोषण, शिक्षा, बच्चे की सहभागिता तथा उसको भय मुक्त वातावरण देने के लिए। यही चर्चा चल रही थी आज बाल अधिकार मंच की बैठक में। लेकिन लाल चंद एवं बच्चालाल के एक प्रश्न ने जैसे सबको थोड़ी देर के लिए निरुत्तर–सा कर दिया था।

लाल चंद बोलने लगा, ''यह सब ठीक है, घर के बच्चे सबको अच्छे लगते हैं। शायद सभी माँ–बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे या बच्चियाँ स्वस्थ रहें, उनको अच्छा पोषण मिले, उनकी पढ़ाई–लिखाई ठीक हो, बच्चों की हर इच्छा पूरी हो। लेकिन गरीब यह सब कैसे करे? गाँव में रोज़गार नहीं, मज़दूरी मिलती नहीं, खाने को पूरा मिलता नहीं तो बाकी सब बातें सपने जैसी लगतीं हैं।''

बात अपनी जगह सही एवं सटीक थी। यह चर्चा हो रही थी बाल अधिकार मंच, बदुआपुर की बैठक में। बदुआपुर, विकास खण्ड चोलापुर, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश, का गाँव है। यह विकास खण्ड मुख्यालय से 14 कि.मी. एवं जिला मुख्यालय से 16 कि.मी. दूर बसा है। गाँव में सभी समुदाय के लोग रहते हैं। जहाँ यह चर्चा हो रही थी यह एक अनुसूचित जाति की बस्ती है जहाँ 25 परिवार रहते हैं। इन परिवारों की रोज़ी–रोटी केवल मज़दूरी पर निर्भर है।

लाल चंद की बात से शकुंतला देवी, राजकुमार, धर्मादेवी, केवल दास, जड़ावती देवी व माया देवी सहित सभी सहमत थे। चाह रहे थे कि इस मूल समस्या का कोई समाधान निकले। बात के इसी सिरे को पकड़ा था प्रक्रिया सहजकर्त्ता ने और बातचीत चल पड़ी मनरेगा की पूरी योजना पर। विस्तार से चर्चा के बाद लोगों की अलग–अलग बातों से एक ही सवाल उभर कर आया कि शुरूआत कैसे हो? ज़रूरत है सबसे पहले काम चाहने वाले व्यक्ति के जॉब कार्ड की। जॉब कार्ड के लिए पंचायत में आवेदन देना होता है जिसकी पंचायत रसीद देती है। पंचायत सभी पूर्ण आवेदनों को विकास खण्ड कार्यालय पहुँचाकर जॉब कार्ड बनवाती है। जॉब कार्ड बन जाने के बाद काम चाहने

पर वर्ष में कम-से-कम 100 दिन का रोजगार देना ग्राम पंचायत की ज़िम्मेदारी है और 100 दिन का कार्य पाना हर जॉब कार्ड धारक का अधिकार है।

जानकारी मिलने पर लोगों ने तय किया कि वे अगले दिन से ही जॉब कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को शुरू कर देंगे। यह जानकारी भी ले ली थी कि हर पंचायत में एक रोज़गार सेवक है जिसकी ज़िम्मेदारी जॉब कार्ड बनाना और पंचायत स्तर पर मनरेगा के हर काम को देखना है। स्थानीय पंचायत में अभी रोज़गार सेवक की ज़िम्मेदारी प्रेम शंकर के पास है।

लोग पहुँच गए प्रेम शंकर के पास। प्रेम शंकर ने गाँव में आकर जॉब कार्ड जारी करने के लिए आवेदन फॉर्म भरवाने का आश्वासन दिया। हर जॉब कार्ड बनवाने वाले की दो-दो फोटो की ज़रूरत होगी, यह भी बताया। लोगों को जानकारी थी कि आवेदन सादे कागज़ पर भी दिया जा सकता है और यह रोज़गार सेवक को जता भी दिया, फिर भी सहयोगात्मक संबंध बनाए रखने की दृष्टि से एवं पुरानी मानसिकता के चलते इस पर ज़ोर नहीं दिया।

लोगों ने तैयारी कर ली थी, लेकिन रोज़गार सेवक प्रेम शंकर गाँव में नहीं आए। आखिर लोगों को ही पुनः पंचायत मुख्यालय जाना पड़ा। दो-तीन बार की मशक्कत हुई पर आखिर कार प्रेमशंकर ने आवेदन फॉर्म भरवाकर रसीदें दीं। इंतज़ार खत्म हुआ। आवश्यक प्रक्रियाओं में थोड़ा समय लगा पर लोगों के जॉब कार्ड बनकर आ गए। कुछ लोगों ने रोज़गार के लिए आवेदन भी भर दिए। शेष लोग जब आवश्यकता होगी उससे 15 दिन पहले भर देंगें। उम्मीद है कि अब देर नहीं होगी क्योंकि समुदायिक दबाव सतत् एवं संगठित रूप से बना हुआ है। लोग खुश हैं। इंतज़ार कर रहे थे अपने लिए रोज़गार की आने का।

***

27. आँखों देखी

"क्या होगा बहिन जी आपकी मीटिंग में आने से, लॉटरी तो नहीं लग जाएगी? कितने पैसे मिलेंगे मीटिंग में आने के?" इसी तरह के अटपटे प्रश्न किए थे लोगों ने जब प्रक्रिया सहजकर्त्ता पहली बार गाँव में बच्चों के मुद्दों एवं अधिकारों पर काम की शुरूआत करने पहुँची। बात हो रही है पनिहारी गाँव की हरिजन बस्ती की जिसमें 70 परिवारों में लगभग 1100 की जनसंख्या हैं। मज़दूरी पर निर्भर है बस्ती। पनिहारी विकास खण्ड चिरईगाँव, जिला (जनपद) वाराणसी, उत्तर प्रदेश, का गाँव हैं।

यह गाँव के लोगों के पूर्वाग्रह थे या उनके अनुभव जो अब से पूर्व गाँव में विकास या अन्य उद्देश्य से आए हुए लोगों से उनको मिले थे, कहा नहीं जा सकता। आप तो अपनी खानापूर्ति करो जी, गाँव का क्या भला होने वाला हैं? पहले भी बहुत लोग आए चले गए। पूरे माह के प्रयास में यही सब रहा।

परियोजना स्तर पर भी इस परिस्थिति की चर्चा हुई थी। तय किया था कि परियोजना से एक समूह ही पनिहारी जाकर लोगों के साथ सम्पर्क करेगा, प्रक्रिया शुरू करने एवं आगे बढ़ाने के लिए प्रक्रिया सहजकर्त्ता का सहयोग करेगा।

तय कार्यक्रम के अनुसार कार्यकर्त्ताओं का एक समूह पनिहारी पहुँचा जिसमें पीयूष, शारदानन्द, महेन्द्र, साधना, इत्यादि, लोग थे। बच्चों के साथ सम्पर्क कर परिवारों तक पहुँचे। उपलब्ध लोगों से बातें हुई। सार्वजनिक जगह पर एकत्रित होने का समय तय किया। लोग इकट्ठे हुए, ज़्यादा संख्या नहीं थी। बातचीत का सिलसिला समस्याओं से हुआ। लम्बी सूची थी। हैंडपम्प, रास्ता, नरेगा में काम न मिलना, नरेगा का भुगतान न होना, बी.पी.एल. कार्ड नहीं, आँगनवाड़ी की स्थिति खराब, विद्यालय में अध्यापकों की कमी, मिड डे मील, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन नहीं मिलना आदि।

इन समस्याओं का समाधान कैसे हो व पहले किस समस्या पर काम करें इस पर भी चर्चा हुई। यह भी स्पष्ट किया था कि कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, जिसको घुमाएँ और समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन सब मिलकर एक-एक समस्या को लेंगे तो इनका समाधान हो जाएगा, समय निश्चित रूप से लगेगा। इतना बड़ा समूह बाहर से आया था, बात कर रहा था, तो लोगों को लगा देखें, थोड़ी इनकी भी बात मानें। आखिर तय हुआ कि पीने का पानी पहले चाहिए। नए हैंडपम्प के लिए कार्यवाही करेंगे।

"कौन-कौन लोग बस्ती से तैयार हैं जो इस कार्यवाही को करेंगे – आवेदन तैयार करना, बातचीत करनी, संबंधित अधिकारी से चर्चा करना, इत्यादि।"

सूची बन गई थी। सबसे ज़्यादा संख्या महिलाओं की थी। समला, रुक्मिणी, किस्मत, बेबी, शीला, मीरा, सुखमणी, विश्वनाथ, मंजू, कान्ती, इन्द्रावती, प्रभावती, राजेश, मनोज एवं संजय। तेरह तारीख तय हुई विकास खण्ड मुख्यालय जाकर विकास अधिकारी से बात करने एवं आवेदन पत्र देने के लिए। आवेदन पत्र तैयार कर तेरह तारीख से पहले ही बस्ती के लोगों से हस्ताक्षर करवा लिए थे।

तेरह तारीख को सब लोग चिरई गाँव विकास खण्ड कार्यालय में पहुँचे। प्रक्रिया सहजकर्त्ता भी साथ थीं। यह पहला मौका था सब लोगों का जब वे अपनी समस्या को लेकर संबंधित अधिकारी से मिल रहे थे। विकास अधिकारी के लिए भी शायद यह नई बात थी जब लोग एकजुट होकर किसी गाँव से हैंडपम्प के लिए आए थे।

पूरी बात लोगों ने सिलसिलेवार बी.डी.ओ. के सामने रखी तथा लिखित में आवेदन दिया। बी.डी.ओ. को भी एक नया अनुभव शायद हुआ था क्योंकि शालीनता के साथ अपनी समस्या की गम्भीरता का प्रस्तुतीकरण लोगों ने किया था।

आवेदन पत्र पर संबंधित ज़िम्मेदार अभियंता के नाम आदेश कर हस्ताक्षर किए, अपनी मोहर लगाई। एक प्रति अभियंता को प्रेषित की, एक प्रति स्वयं के कार्यालय में रखी व एक गाँव वालों को शीघ्र कार्यवाही के आश्वासन के साथ लौटा दी।

वर्षों से जारी समस्या का इतनी सरलता से समाधान हो जाएगा इसकी उम्मीद लोगों को नहीं थी पर प्रमाण सामने था। कुछ ही दिनों में हैंडपम्प लग गया था। बस्ती में सामूहिकता का अहसास हुआ। बच्चों के मुद्दों पर अब नए सवाल नहीं होते, सिर्फ काम करने की बात होती है। परिस्थिति, प्रयास और परिणाम आँखों देखे हों तो फिर प्रश्न की गुंजाइश कहाँ रहती है।

***

28. मेरा अनुभव

"ऐ वहीद! इधर आ। जा, ज़रा दो चाय ले आ दुकान से, दो 'पुकार' भी ले आना।" एक सज्जन ने वहीद को बुलाया और 10 रु. का नोट निकालकर वहीद के हाथ में थमा दिया।

वहीद दुकान की तरफ चल दिया था। वहीद 10–12 साल का लड़का था। मुझे अटपटा–सा लगने के साथ बुरा भी लगा कि जिन चीज़ों को बच्चों से मँगाने की मनाही है वही चीज़ इन सज्जन ने बिना किसी हिचकिचाहट के मँगा ली थी। 'पुकार' गुटखे के उन अनेकों नामों में से एक है जिनमें तंबाकू और अन्य हानिकारक तत्त्व निश्चित रूप से मिले होते हैं। मनाही नहीं हो तो भी ऐसे काम जिनसे हम बच्चों को बचाना चाहते हैं उनसे नहीं करवाने चाहिए।

दरअसल आज जब बस्ती में बाल मंच की बैठक के लिए मैं पहुँची तो ये सज्जन, जो पास की झोंपड़ी में रहते हैं, थोड़ा बस्ती के काम में रुचि रखते हैं, बाल अधिकार मंच के सदस्य भी हैं, उन्होंने मेरे लिए चाय मँगवाई थी और उसी के साथ बच्चे से गुटखे भी मँगवाए थे।

यह बस्ती वाराणसी की 129 कच्ची बस्तियों में से एक है। इस बस्ती में 94 परिवार रहते हैं और जनसंख्या 650 है। 'लाट–भैरव' यही नाम है इस बस्ती का। यह बस्ती रेल की पटरियों के पास पुल के नीचे बसी है। सभी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। कचरा बीनना, नकली जेवर के सामान तैयार करना, इत्यादि आजीविका के साधन हैं। कुछ बच्चे पढ़ने भी जाते हैं जबकि कुछ इधर–उधर बाल श्रम से भी जुड़े हैं।

चाय आ गई थी। बच्चे ने एक चाय मुझे दी और एक चाय उन सज्जन को। मैंने उन्हें टोका भी, बच्चों से बीड़ी, गुटखा, सिगरेट मँगाना गलत बात है, अभी लाकर देते हैं, धीरे-धीरे खाना-पीना भी सीख जाएँगे। सज्जन के चेहरे पर हँसी मिश्रित शर्मिंदगी थी।

बच्चे इकट्ठे हो गए थे। वे सज्जन वहाँ से अन्यत्र चले गए थे। शायद उनको लग गया था कि अभी बच्चों के साथ भी इसी तरह की चर्चा होगी। उनका अंदाज़ा सही था। मैंने अपनी बात इसी विषय के सिरे को पकड़ कर शुरू की।

दो बच्चों के नाम गुटखा-तम्बाकू खाने वालों में खुले में आए। एक बच्चे को, जिसका नाम राजा था, मैंने स्वयं गुटखा खाते देखा था। नशीले पदार्थों के सेवन से शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक प्रभावों पर बच्चों के अनुरूप बात की थी। पूछने पर बच्चों ने बताया कि वे स्वयं न तो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं और न ही करेंगे, साथ ही दोस्त बच्चों को भी नहीं करने देंगे। सेवन करने वाले बच्चों को रोकेंगे, नहीं मानेंगे तो सब बच्चे उनसे दोस्ती खत्म कर देंगे। दोनों बच्चों (आकाश और राजा) से भी बात हुई। वे गुटखा, इत्यादि, खाते हैं स्वीकार किया। अब नहीं खाएँगे, यह वादा किया।

अगली बार बच्चों ने आते ही बताया, "मैडम, इन दोनों ने अभी तक पूरी तरह से गुटखा खाना नहीं छोड़ा है। हमने इनसे बात करना बंद कर रखा है।"

"ठीक किया," मैंने कहा।

बैठक के बाद जब वापस चलने को हुई तो दोनों बच्चे मेरी तरफ आ रहे थे। बोले "मैडम, हमने उस दिन से गुटखा खाना छोड़ दिया है, कभी-कभी खा लेते हैं। आज से हम वादा करते हैं गुटखा खाना छोड़ उसके हाथ भी नहीं लगाएँगे।"

मैंने बच्चों की पीठ थपथपाई और रवाना हो गई। बस्ती के बच्चे चौकस थे, बताया कि दोनों ने गुटखा खाना अब छोड़ दिया है अब तो वे पढ़ने की बात भी कर रहे हैं।

***

29. बात बन गई

कमला एवं गुलाबो (कल्पित नाम) आज एक कार्यशाला में भाग लेकर वापस लौट रहीं हैं। यह प्रशिक्षण कार्यशाला तीन दिन की थी जिसमें अन्य विषयों के साथ-साथ इस विषय पर भी पूर्ण विस्तार से चर्चा हुई थी कि महिलाएँ खाली समय में कैसे छोटे-छोटे काम घर पर ही कर सकतीं हैं, जिनसे परिवार में कुछ अतिरिक्त आमदनी हो सके और अपने बच्चों को आवश्यक सुविधा जुटाकर उनके भविष्य को सँवारने में मदद मिल जाए। दोनों उत्साहित होकर बस्ती लौटी थीं और पक्का विचार करके आईं थीं कि बस्ती में सभी महिलाओं से बात कर सबको स्वरोज़गार के लिए प्रोत्साहित करेंगी और कुछ-न-कुछ स्वरोज़गार बस्ती में शुरू करेंगी।

कमला एवं गुलाबो वाराणसी की कच्ची बस्ती 'नगवा' की रहने वाली हैं। 'नगवा' बस्ती शहर की 129 चिह्नित एवं डूडा (डिस्ट्रिक्ट अरबन डवलपमेंट अथोरिटी) द्वारा चयनित कच्ची बस्तियों में से एक हैं। लगभग 350 परिवारों में 2500 की जनसंख्या है बस्ती की। यह पूर्ण रूप से हरिजन बस्ती है। बस्ती की आमदनी का मुख्य स्रोत मज़दूरी व भीख माँगना है। निर्माण स्थलों की मजदूरी, रिक्शा, ट्रॉली से शहर में समान परीवहन, यही काम है इन लोगों की आय के स्रोत स्वरूप। कुछ लोग छोटी-मोटी दुकान इत्यादि भी करते हैं। महिलाएँ ज़्यादातर घर पर ही रहतीं हैं, कुछ चौका बर्तन का काम करतीं हैं।

बाल अधिकार मंच की बैठक में दोनों महिलाओं ने भाग लिया और पूरा विवरण बताया। अपने अनुभव एवं दूसरों के अनुभव, जो सुने थे, बताए। बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा अभिभावक किस-किस तरीके से कर सकते हैं, इसपर बात हुई।

एक महिला सदस्य, जो यह सब सुन रही थी, ने कहा, ''यह सब पैसे का खेल है। पैसा हाथ में हो तो सब कुछ हो सकता है, अगर पास में पैसा न हो तो कितनी ही बातें कर लो कुछ भी बदलने वाला नहीं हैं।''

''हमारे पुरुषों की कमाई वैसे भी ज़्यादा नहीं होती। जो होती है उसमें से भी वे लोग अपने मौज-शौक में उड़ा देते हैं। जो कुछ थोड़ा बचता है उससे घर खर्च ही मुश्किल से चलता है तो फिर बच्चों की आवश्यकताएँ कैसे पूरी हों?'' एक और महिला ने पैसे का मुद्दा उठाने वाली महिला का समर्थन किया।

कमला एवं गुलाबो को जैसे इंतज़ार था इसी तरह की बात का। गुलाबो बोली, ''आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हम महिलाएँ भी तो कुछ काम कर सकतीं हैं, जब हमारे पास में खाली समय होता है।''

वाराणसी शहर एक तीर्थ नगरी भी है जहाँ पूरे वर्ष श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। वे मालाएँ-मूर्तियाँ अन्य कई प्रकार के छोटे-छोटे सामान यहाँ की यात्रा के दौरान खरीदते हैं। किसी कारण बस्ती वालों को यह काम मिलना बंद हो गया था। सबको लगा कि यह यदि चालू हो जाए तो बहुत अच्छा हो। यह बात कई महिलाएँ जानतीं हैं। ऐसे में तय हुआ कि इस संबंध में जानकार महिलाएँ एवं प्रक्रिया सहजकर्त्ता रोजगार के लिए उपयुक्त रोजगार दाताओं से सम्पर्क कर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएँ।

कमला, गुलाबो एवं प्रक्रिया सहजकर्त्ता ने प्रयास शुरू किए तो मालाओं के एक थोक निर्माता एवं विक्रेता, श्री अरविंद कुमार, से मुलाकात हुई। बच्चों एवं महिलाओं के लिए हो रहे काम से प्रभावित हुए। उनको स्वयं को भी इस तरह के काम करने वाले की ज़रूरत थी।

रोज़गार की 'हाँ' के साथ बस्ती में काम शुरू हो गया। जो महिलाएँ खाली समय सोकर या गप्पे लड़ाकर गुज़ारतीं थीं वे अब उसमें 25-30 रु. प्रतिदिन कमाने लगीं। अब वे बच्चों को डाँटने, धमकाने व मना करने की जगह उनकी आवश्यक ज़रूरतों को पूरा कर रहीं हैं।

संगठन की चाबी ने उनके बेहतर भविष्य के ज़ंग लगे ताले को जैसे खोल दिया था। उन्हें और उनके बच्चों को उम्मीद की रौशनी नज़र आने लगी थी।

***

30. सामाजिक दबाव, सामाजिक बदलाव

अँधेरा हो रहा था। महिलाएँ, बच्चे तो शाम होने से पहले ही घर आ गए थे। पुरुष भी लौट रहे थे। कोई बुदबुदाता आ रहा था, कोई गालियाँ बकते आ रहा था तो कोई किसी को सबक सिखाने की बात को बड़बड़ा रहा था, ''सारा पैसा अगर कल मैंने नहीं निकाला तो मेरा नाम नहीं।''

एक झोपड़ी से बच्चों के रोने व महिला के चिल्लाने की आवाज़ आई, महिला बच्ची को गोद में लेकर बाहर निकली। कपड़े अस्त-व्यस्त थे, फट भी गए थे। रो भी रही थी, अपने पति को भला-बुरा भी कह रही थी। बस्ती के लोगों ने अपनी-अपनी झोपड़ी से निकलकर देखा पर किसी ने उस झोपड़ी तक जाने की ज़रूरत नहीं समझी।

यह इस बस्ती का रोज़ का नज़ारा है। केवल एक झोपड़ी की बात नहीं बल्कि लगभग सभी झोपड़ियों की यही कहानी है। पुरुष लोग जो भी कमाते हैं उसको शाम तक जुआ-शराब में लगाकर खाली हाथ झूमते से लौटते हैं और आकर पत्नि-बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। घर की रोज़ी-रोटी महिलाएँ, भीख माँगकर चलाती हैं जिसमें सामान्यता बच्चे भी साथ होते हैं।

यही दिनचर्या है 'नेवादा नट बस्ती'। नेवादा नट बस्ती वाराणसी शहर की चिहिन्त एवं डूडा (डिस्ट्रिक्ट अरबन डवलपमेंट अथोरिटी) द्वारा चयनित कच्ची बस्तियों में से एक हैं। लगभग 350 की जनसंख्या है नेवादा नट बस्ती की जिसमें आधे मुस्लिम नट एवं आधे हिन्दू नट रहते हैं। बस्ती की आमदनी का मुख्य स्रोत मज़दूरी है। महिलायें भीख माँगती हैं। इस काम में बच्चों को साथ रखतीं हैं। निर्माण स्थलों की मज़दूरी, रिक्शा, ट्राली से शहर में सामान परिवहन यही काम है इन लोगों की आय के स्रोत स्वरूप।

बार-बार बच्चों के साथ गतिविधियाँ, बस्ती में स्वास्थ्य शिविर के आयोजन व महिलाओं से निरंतर सम्पर्क के माध्यम से बस्तीवालों से जुड़ाव हुआ। कुछ महिलाएँ अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए बैठकों में जुटने लगीं थीं। इन्हीं जुटने वाली महिलाओं तथा दो-तीन पुरुषों, जिनमें गोविन्द, मिथुन, दिलावर इत्यादि शामिल थे, ने बस्ती में बाल अधिकार मंच का गठन किया, जिसके अंतर्गत

वे समय-समय पर एकत्रित होकर बस्ती के बच्चों के लिए सोचते थे, विचार-विमर्श करते थे।

इसी तरह की बैठक में पुरुषों का शराब पीने और जुआ खेलने का मुद्दा उठा। तरीके सोचे गए। सबसे पहले समझाइश का तरीका अपनाया गया। इसके लिए भी तय किया गया कि शाम के समय बात करने से कोई फायदा नहीं क्योंकि जिनको समझाने की ज़रूरत है वे इस वक्त नशे में धुत्त होते हैं। अतः मिथुन, गोविन्द, दिलावर एवं दो-तीन अधेड़ महिलाओं ने इकट्ठा सुबह निकल कर बात करना शुरू किया। यह रोज़ का क्रम रखा। शाम को जिस घर में हल्ला होता, सुबह वह घर ही इन लोगों की प्राथमिकता होता। महिला-पुरुषों के समूह को देखकर व्यक्ति अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस करता। शाम को पीने में संयम रखता, और जुए से भी बचता।

समाजिक दबाव का परिणाम यह रहा कि दोनों ही व्यसनों में कमी आने लगीं ओर नेवादा नट बस्ती जुए से मुक्त हो गई। शराब के सेवन में भी कमी आई है और बच्चों व महिलाओं से मारपीट गाली-गलौच में गिरावट महसूस की गई है। परिवारों की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी है क्योंकि परिवार का वाजिब आवश्यकताओं पर खर्च करने के लिए या बचाने के लिए ज़्यादा पैसा उपलब्ध हो रहा है। उम्मीद है किसी दिन शराब भी बंद हो जाएगी और शायद महिलाओं व बच्चों का भीख माँगना भी।

***

31. लड़ेंगे... जीतेंगे...

"आज राशन भी लाना है," सीमा ने सुबह काम पर निकलने से पहले अपने पति से कहा।

"मैं दिन में नहीं आ पाऊँगा, तुम खुद राशन की दुकान से ले आना।" पति ने जवाब दिया।

सीमा ने घर का काम जल्दी-जल्दी निपटाया। राशन कार्ड, पैसे, इत्यादि, लेकर घर से बाहर आई, उसकी पड़ोसन अनिता भी राशन लाने के लिए तैयार थी। दोनों राशन विक्रेता की दुकान पर पहुँचीं तो दुकान को बंद पाया। कोई सूचना भी नहीं थी, सूचना बोर्ड पर भी कुछ लिखा नहीं था, जबकि इस सप्ताह राशन लाकर वितरण करना था। दोनों वापस आ गईं।

दूसरे दिन फिर गईं तो दुकान खुली मिली, कोटेदार (राशन विक्रेता) भी मौजूद था, लेकिन राशन नहीं आया कहकर मना कर दिया। शक्कर, कैरोसीन के लिए पूछा तो खत्म होना बताया। दोनों परेशान हुईं। बातचीत की तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिला। कोटेदार ने रूखे शब्दों में कहा, "सरकारी दुकान है ऐसे ही चलेगी।"

दोनों महिलाओं को यह ठीक नहीं लगा, ऐतराज किया, "एक तो बराबर राशन नहीं देते। कभी भी दुकान बंद कर देते हो और फिर जवाब भी ठीक से नहीं देते।" लेकिन इसपर कोटेदार और भड़क गया। खुलेआम बोला, "जाओ, तुम्हें जो करना है करो, कुछ नहीं होने वाला।"

यह स्थिति है ग्राम कमौली की सरकारी राशन की दुकान की। ग्राम कमौली विकास खण्ड चिरईगाँव, जिला (जनपद) वाराणसी, उत्तर प्रदेश, का गाँव है। विकास खण्ड मुख्यालय से 7 कि.मी. तथा जिला मुख्यालय से 15 कि.मी. दूर बसा है। 100 परिवारों की कुल आबादी लगभग 800 है। सभी अनुसूचित जाति समुदाय के लोग हैं और आजीविका का साधन मात्र दैनिक मज़दूरी है।

बाल अधिकार मंच की बैठक में अनिता एवं सीमा ने व्याथित होकर सरकारी राशन की दुकान की इस समस्या को समाधान के लिए रखा। सदानन्द, राम सेवक, नथुनी, आदि, भी इससे सहमत थे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। विस्तार से चर्चा के बाद तय हुआ कि अगले

दिन 3 लोग – सीमा, सदानन्द तथा अनिता – प्रधान जी से बात कर विकास खण्ड मुख्यालय पर एस.डी.एम. (सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निरीक्षक अधिकारी) से बात करेंगे।

जब प्रधान एवं निरीक्षक से बात हुई तो आश्वासन मिला कि एक सप्ताह के अंदर दुकान का निरीक्षण कर उचित कार्यवाही करेंगे। अगले सप्ताह लोग दोबारा प्रधान व निरीक्षक के पास पहुँचे। पूरे सप्ताह दुकान बंद थी, कोई व्यवस्था नज़र नहीं आई, यह सब प्रमाण अपने साथ लेकर गए थे। निरीक्षक के पास कोई जवाब नहीं था।

लोग परेशान थे व चाह रहे थे कि मौजूदा कोटेदार का कोटा निरस्त करवाकर दूसरी व्यवस्था की जाए। ऐसे में पूरा विवरण लिखकर पूरे गाँव के लोगों के हस्ताक्षर कराए व फॉटोस्टेट करा एक–एक प्रति प्रधान व निरीक्षक को दी। मूल प्रति जिला रसद अधिकारी वाराणसी को पहुँचाई। लोग जाकर उनसे मिले भी, बात की व पूरी वस्तु स्थिति से अवगत कराया। जिला रसद अधिकारी ने विकल्प पूछा तो लोग स्वयं अपने बाल अधिकार मंच के तहत राशन वितरण की ज़िम्मेदारी लेने को तैयार थे। जिला रसद अधिकारी ने दो दिन बाद बुलाया था। शायद खाद्य निरीक्षक एवं सरपंच, इत्यादि, से बात कर संतुष्ट होना चाहते थे।

दो दिन बाद लोग पहुँचे तो जिला रसद अधिकारी के पास मौजूदा कोटेदार का कोटा निरस्त करने के अलावा कोई चारा नहीं था। सरपंच एवं निरीक्षक की भी यही अनुशंषा थी।

मंच की तरफ से नया आवेदन तैयार हुआ। लोगों ने ज़िम्मेदारी के हस्ताक्षर किये। राशन की दुकान बाल अधिकार मंच के नाम हो गई। सभी ज़रूरत की वस्तुएँ समय पर उपलब्ध होने लगीं और तमाम तरह की हेराफेरियों से निजात मिली। लोगों की एकता के आगे भ्रष्ट कोटेदार भी कुछ नहीं कर पाया। प्रशासन में भी हलचल मची। लोगों का खुदपर ओर संगठन पर विश्वास बढ़ा सो अगल। वे कहते हैं "अब हम किसी से भी अपने हक की लड़ाई लड़ और जीत सकते हैं। हमें लड़ने का सही तरीका मिल गया है।"

***

32. नेहा की शादी

नेहा 18 वर्ष की हो चली है। भाई-बहिनों में सबसे बड़ी है। नेहा के पिताजी लगभग 5 साल से बीमार रहते हैं। घर का खर्च नेहा व उसकी माँ कालोनी के घरों में चौका-बर्तन एवं खाना बनाकर मिलने वाली मज़दूरी से चलाती हैं। नेहा पढ़ी-लिखी भी नहीं हैं और न ही कोई अन्य काम जानती है। माँ-बाप को नेहा की सगाई-ब्याह की चिंता रहती है। एक-दो रिश्ते आए भी लेकिन इसलिए तय नहीं हुए कि नेहा को थोड़ा बहुत पढ़ना-लिखना भी नहीं आता और न ही सिलाई-कढ़ाई जैसा कोई अन्य काम आता है। बस्ती के आस-पास सीखने की कोई व्यवस्था नहीं है और दूर जाती है तो चौका बर्तन छूटता है।

यह स्थिति है वाराणसी शहर की कच्ची बस्ती खोजवां की। खोजवां वाराणसी शहर की चिह्नित 129 कच्ची बस्तियों में से एक है जो डूडा (डिस्ट्रिक्ट अरबन डवलपमेंट अथोरिटी) में चयनित है। बस्ती के लगभग 550 परिवारों की आबादी करीब 2250 है। बस्ती में सभी समुदाय के लोग रहते हैं। छोटी-छोटी मूर्तियाँ बनाना, ठेले पर सब्ज़ी बेचना, रिक्शा-ट्रॉली चलाना तथा दैनिक मज़दूरी ही आजीविका का साधन है। महिलाएँ एवं लड़कियाँ घरों में चौका-बर्तन तथा खाना बनाकर परिवार की आय में मदद करती हैं।

नेहा की ही बात नहीं हैं, बस्ती की सब किशोरवय लड़कियों की एक–सी कहानी है। पढ़ाई की उम्र में दूसरों के घरों में चौका–बर्तन शुरू कर देती। हैं। नेहा की माँ बाल अधिकार मंच की सदस्य है। परिवार की समस्या विशेषकर नेहा की सगाई संबंध की समस्या से अवगत कराया था। बैठक में इसपर चर्चा हुई तो केवल नेहा ही ऐसी लड़की नहीं थी, दूसरी लड़कियों की भी यही कहानी थी।

समाधान पर चर्चा हुई। स्कूल जाने के बारे में पूछा गया तो लड़कियों ने स्वयं ही मना कर दिया। वे अपने से कम उम्र के बच्चों के साथ पढ़ने में शर्म महसूस करतीं थीं जबकि उनकी उम्र के बच्चे पढ़ाई में उनसे काफी आगे निकल चुके थे।

''क्या हो?'' प्रक्रिया सहजकर्त्ता ने विकल्पों पर चर्चा की। बस्ती में अनौपचारिक शिक्षा केन्द शुरू करना तय किया गया। साथ ही यह भी तय किया कि बस्ती में ही सिलाई–कढ़ाई सीखने की व्यवस्था भी करें ताकि लड़कियाँ जीवनोपयोगी हुनर सीख सकें।

दोनों ही व्यवस्थाएँ बस्ती में की गईं। इनकी देखरेख की ज़िम्मेदारी बाल अधिकार मंच द्वारा ली गई। समय लड़कियों की सुविधानुसार रखा गया है ताकि उनका काम न छूटे।

नेहा ने इसका भरपूर लाभ लिया। मेहनत की, पढ़ना–लिखना और सिलाई–कढ़ाई दोनों सीखे। शिक्षा और हाथ में हुनर आते ही नेहा की शादी हो गई। वह अब खुद के ही नहीं दूसरों के भी कपड़े सिलती है जिससे अतिरिक्त आय हो सके। उसकी खुशी और आत्म–विश्वास उसके चेहरे पर साफ झलकता है।

यही खुशी अन्य लड़कियों ओर उनके अभिभावकों के चेहरों पर भी झलकने लगी है। कहते हैं शिक्षा वही है जो दिल को हिम्मत, दिमाग को हिसाब रखने की ताकत और हाथ को हुनर दे।

***

33. सक्षम होते हम

बाल अधिकार मंच के चयनित सदस्यों की प्रशिक्षण कार्यशाला में चिरईगाँव विकास खण्ड के छः–सात गाँवों के लोग थे। सभी पड़ौसी गाँव हैं। ऐसे में प्रतिभागियों की एक–दूसरे से जान–पहचान भी थी। सामाजिक–आर्थिक स्थितियाँ भी एक–सी थीं। गाँवों की समस्याएँ भी न्यूनाधिक रूप से एक जैसी ही थीं। कार्यशाला का विषय था "बच्चों के अधिकार एवं उनका संरक्षण।"

औपचारिक परिचय व कार्यशाला के उद्देश्य से बातचीत शुरू की गई। परिवार, अभिभावक व समुदाय से बच्चों को मिलने वाले अधिकारों पर सबकी सहमति थी। परिवार, अभिभावक व समुदाय किस तरह से बच्चों के अधिकारों में कमी रखते हैं या कैसे वे बच्चों को उनके अधिकार नहीं देते हैं, इस पर भी लोग सहमत थे। पर जैसे ही शिक्षा के अधिकार पर बात आई तो सब अध्यापकों और सरकार पर टूट पड़े। ऐसा लगा कि विद्यालय शिक्षा के मंदिर के बजाए समस्याओं के घर हैं। सबने अध्यापकों की लेट–लतीफी, गपशप, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान न देना, मध्याह्न भोजन के प्रति लापरवाही और अनियमितताएँ, विद्यालय परिसर के निर्माण एवं मरम्मत, बच्चों के लिए पेयजल, शौचालय सुविधा, आदि, को लेकर सरकार और अध्यापकों से नाराज़गी ज़ाहिर की।

प्रशिक्षक समूह अनुभवी थे। इस तरह सबकी सक्रिय सहभागिता प्रेरित करना और फिर इसे सही दिशा में ले जाना उन्हें बखूबी आता था। अब उन्होंने विद्यालय व्यवस्था में समुदाय की सहभागिता का मुद्दा छेड़ा, अर्थात्, समुदाय द्वारा अध्यापकों से सम्पर्क, संबंध, विद्यालय विकास में गाँव की पहल, विद्यालय प्रबंध में समुदाय का सहयोग, इत्यादि। कोलाहल थम गया। इसका एकमात्र कारण यह था कि कभी भी समुदाय विद्यालय व्यवस्था में सहयोग या दखल नहीं देता था। प्रश्न उठाए गए कि आखिर गाँव का सरकारी विद्यालय किसका है? बच्चे किसके हैं? नुकसान–फायदा किसका हो रहा है? किसके बच्चों को शिक्षा का अधिकार पूरा नहीं मिल रहा? जवाब मिला, "यह सब तो गाँव–समुदाय का है।" लागों ने शिक्षा का अधिकार में स्वयं, अर्थात् अभिभावक–समुदाय, की भूमिका को समझा।

प्रशिक्षणार्थी समूह में जाल्हूपुर, गौरां कलां व खालिसपुर के लोग भी थे। तीनों ही गाँव विकास खण्ड मुख्यालय से औसत 8 कि.मी. एवं जिला मुख्यालय से और 9–10 कि.मी. दूर बसे हैं। तीनों ही गाँवों में अनुसूचित जाति समुदाय की बाहुलता है। तीनों ही गाँव दैनिक मजदूरी पर निर्भर हैं। तीनों गाँवों के प्रतिनिधियों ने तय किया कि जिस भूमिका को समुदाय अभी तक नहीं निभा रहा था, वापस जाकर उस भूमिका का निर्वहन करेंगे, शिक्षकों से संपर्क, शिक्षक–समुदाय के संवाद, व्यवस्था में सहयोग, निगरानी एवं सरकार की तरफ से जो ढिलाई या कमियाँ होगी उसके लिए विद्यालय परिवार को साथ लेकर पहल करेंगे।

प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन हो गया था। लोग नए उत्साह के साथ अपने–अपने गाँव पहुँचे। अनुभवों एवं निर्णयों का अपने–अपने गाँव के बाल अधिकार मंच में आदान–प्रदान किया। मंचों के स्तर पर भी तय किया कि अब स्थानीय विद्यालय के साथ शिक्षा की गुणवत्ता, बाल मित्रवत, विद्यालय, परिसर व्यवस्थाओं (भवन, पेयजल, शौचालय, खेल मैदान, आदि) में सहयोग करेंगे।

तीनों गाँव के मंचों ने स्थानीय प्रधान को साथ लेकर अपने–अपने गाँव में "शिक्षक–समुदाय संवाद" कार्यशालाओं का आयोजन किया ताकि स्कूल तथा समुदाय की दूरी मिट सके ओर बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल मिल सके। इसके माध्यम से जहाँ एक तरफ विद्यालय परिवार खुश व गंभीर हुआ जबकि समुदाय उनपर नज़र रखने वाले सहयोगी के रूप में भूमिका निभाने लगा। फलस्वरूप जहाँ एक ओर विद्यालय की व्यवस्थाएँ सुधरने लगीं, वहीं दूसरी ओर विद्यालय प्रबंधन समिति सक्रिय हुई। विभिन्न सामुदायिक जागरूकता अभियान भी चलाए गए। इन सबका नतीजा यह हुआ कि विद्यालय की शिक्षा में गुणात्मक सुधार हुआ ओर बच्चों का नामांकन व ठहराव भी बढ़ा। जो बच्चे विद्यालय नहीं जाते थे वे भी रोज़ आने लगे।

बच्चों के अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता तो बढ़ी ही है। साथ ही, बाल मंच व बाल अधिकार मंच इन अधिकारों के संरक्षण के लिए मज़बूत रूप से उभर रहे हैं। यह परिवर्तन अन्य गाँवों में भी देखने को मिल रहे हैं। लगता है बच्चे और बड़े अब वास्तविक रूप में 'सक्षम' हो रहे हैं।

***

सम्पर्क सूत्र

प्रशासनिक कार्यालय
68/337, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर - 302020, राजस्थान, भारत
फोन. नं. : 91-0141-2792919, 9414028004
Email : prayatnraj@yahoo.com
prayatn@prayatn.org
Website : www.prayatn.org